PUNISHMENT PUTS OTHER HIGH-FREQUENCY TRADING FIRMS ON NOTICE

Jane Street's India run: From windfall to roadblock

ANTO ANTONY, CHIRANJIVI CHAKRABORTY & TOM REDMOND
July 7

TIGHTENED RESTRICTIONS

Taming the options market

India's exchanges trade the most derivatives globally

Source: World Federation of Exchanges; Bloomberg/Futures industry association

UNTIL LATE 2024, one of the most lucrative corners of global finance was a 24-story tower southwest of New Delhi.

Home to at least a half dozen high-speed trading firms, the blue-glass building with a rooftop helipad and a bronze bull sculpture in its plaza has been the centre of a trading boom that made India the world's biggest equity derivatives market by volume. Foreign funds and proprietary traders using algorithms made $7 billion in the 12 months to March 2024 alone.

That bonanza may be coming to an end. On July 4, nine months after markets regulator Sebi tightened restrictions on options trading to protect retail investors, it accused Jane Street Group — one of the market's biggest players — of manipulating prices to generate hundreds of millions of dollars in ill-gotten profits.

The Securities and Exchange Board of India (Sebi) imposed a temporary trading ban on Jane Street, an extraordinary move that became the talk of dealing rooms from New Delhi to Amsterdam. It also ordered the seizure of ₹4,840 crore from the US trading giant, citing illegal gains from "an intentional, well-planned and sinister scheme." Jane Street, which made more than $4 billion from India in just over two years, has disputed Sebi's findings.

"Sebi's action against Jane Street is a watershed moment," said Sonam Srivastava, a fund manager at Wright Research. "It signals an aggressive stance against sophisticated global players potentially gaming the system."

Even before Sebi's latest announcement, several international market makers were mulling whether to proceed with planned hires and technology investments, or to put those plans on hold if their profit-making potential is severely crimped by regulatory risks.

That's according to executives at global trading firms and people familiar with their plans who asked not to be identified discussing confidential matters. The move is also expected to put a further damper on trading, which slumped 70% in the first five months of this year.

News of the crackdown swept across global trading floors at the end of last week. Some speculated whether other foreign firms might also be in trouble, while chat groups and emails lit up at smaller trading rivals welcoming the move to rein in Jane Street. One Hong Kong trader said their phone was buzzing as soon as the headlines hit, with some people on the trading floor jumping for joy. Another trader in Amsterdam, whose phone went "haywire," said it was a huge surprise, as they hadn't expected Sebi to act.

Jane Street is one of the most active foreign players in India, and the punishment was far bigger than many expected, showing the regulator is serious about tamping down on questionable activity. After four years of unfettered market growth, officials have become uncomfortable with the outsized profits of international firms and sophisticated traders in the options market, especially given the massive losses suffered by retail investors on the other side of the trades.

> **Jane Street started by trading exchange-traded funds, but later branched out into high-frequency trading. It's now a titan in that space**

"It's a landmark order" that puts all high-frequency traders on watch, said Anant Jatia, founder and chief investment officer of Mumbai-based Greenland Investment Management. The regulator sent a clear message, he said: "You are welcome in the market, but you've got to play by the rules."

Jane Street inadvertently revealed just how lucrative the market had become during a high-profile court battle last year with hedge fund Millennium Asset Management. Jane Street's billions in profits were a source of fascination for many market players, and prompted regulators to investigate its trades.

India is an ideal market for some popular forms of high-frequency trading, where firms make numerous rapid-fire trades each day, pocketing small amounts of money by exploiting market anomalies with little risk. These modest gains can accumulate into substantial profits.

The firms' proponents say they play a vital role as market makers, helping price discovery by narrowing the bid-ask spread on trades, or the difference between the highest price a buyer is willing to pay and the lowest a seller is willing to accept.

Critics argue they use their technological advantages — such as having their own servers in data centres owned by stock exchanges — to front-run orders by retail and other investors.

Sophisticated, computer-driven algorithms can also enable large firms to profit from small price fluctuations, or exploit erratic trading behaviour among retail speculators.

India presents a unique opportunity given its market structure. The options market has high retail participation, in part because minimum trade sizes are relatively small, and bets can be made for as little as 12 cents. Options give their holders the right to buy or sell an asset — such as an individual stock or an index — at a specific price on or before a certain date. They enable traders to bet on the direction of stocks for a fraction of the cost of buying and selling the actual securities.

Speed traders currently account for about 60% of the trading volume in India's equity derivatives market, where $3 trillion in notional value is traded daily, and close to 40% of the country's stock trading, according to data from NSE. Their cumulative market share grew during and after the Covid-19 pandemic, when global giants including Jane Street and Citadel Securities ramped up trading.

All that success for global firms, however, has often come at the expense of small investors. Nine out of 10 individual traders have been losing money from derivatives trades, according to Sebi.

The regulator released a research paper last September that said retail players lost the equivalent of $21 billion from futures and options in the three years to March 2024. It also said higher trading activity was associated with a higher percentage of loss makers.

—BLOOMBERG

Open and shut case: Sebi

NESIL STANEY
Mumbai, July 7

THE SECURITIES AND Exchange Board of India (Sebi) is quite confident that its interim order on Jane Street (JS) and its affiliates will pass the muster of the Securities Appellate Tribunal (SAT) and higher authorities, said sources in the know.

The US-based market maker said that JS is expected to challenge Sebi's interim order in SAT, and even Supreme Court. The firm's spokesperson on Friday said, "Jane Street disputes the findings of the Sebi interim order and will further engage with the regulator. Jane Street is committed to operating in compliance with all regulations in the regions we operate around the world."

Sebi officials, however, are confident about the order. "This is an open and shut case even for the SEC (Securities and Exchange Commission)," the source said, adding that the interim order clearly indicates investigations will continue across exchanges. "The scope here is quite large," he added.

What makes Sebi's case stronger is that the National Stock Exchange (NSE), acting under instructions from the market regulator, had advised JS in February to avoid high-risk activity in index options and refrain from any trading behaviour that could indicate manipulation. The JS Group gave assurance to the exchange, through its compliance partner Nuvama, that it will fully comply with applicable regulations.

It also appealed that there was no human intervention or malafide intent as trades were driven by algorithms. Satisfied with the reply, the NSE closed the probe on April 30.

However, in May 2025, the group again executed what appeared to be manipulative "extended marking the close" strategies—entering large, aggressive trades in index and stock markets around expiry closing—to move the index in their favour.

The index strategies on expiry days that Sebi cited were executed by at least three large algo traders, said the source close to JS." It can also seek a regulatory settlement of the impound," he said.

Sebi's interim order impounded ₹4,844 crore – the highest ever – of unlawful gains. It also allowed the firm to continue to trade, if it deposits the impounded amount. The idea, said sources, was not to discourage making money but manipulation.

JS had earlier approached Sebi for settlement, said a fund manager at a large foreign portfolio firm (FPI). Early in June 2025, the Futures Industry Association (FIA), a trade body for futures, options and centrally cleared derivatives - with offices in London, Singapore and Washington - had approached Sebi on behalf of Jane. It had suggested a settlement, he said. At that point, Sebi continued with investigations.

Meanwhile in June, several FPI traders and large Indian proprietary traders took their complaints to finance minister Nirmala Sitharaman, and some even raised concerns with the Prime Minister's grievance cell, before Sebi's decision. The regulator has only skimmed the surface of index manipulations, said the fund manager, who added that Sebi clearly received orders from the finance ministry to take action on JS.

On Friday, Sebi barred JS entities from operations in India. In 2024, JS's India revenues exceeded $2.3 billion. As per Sebi, Jane's ₹36,502 crore in profits between January 2023 and March 2025, includes ₹43,289 crore profits from index options and ₹7,687 crore losses in cash and futures. Jane profited hefty on January 17, 2024, booking ₹734.93 crore from a dramatically engineered move in Bank Nifty.

Comparatively, JS peers Citadel Securities India Markets earned $344 million for the 12 months ended March 2024 and Optiver BV earned modest profits around $300 million in calendar year 2024 from options trading in India. Other prominent firms in algo-trading and high-speed trading include IMC Trading, Flow Traders, Tower Research, Two Sigma, Jump Trading, Goldman Sachs, Hudson River and DRW.

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी
साढौली कदीम (सहारनपुर)

पत्रांक /782/लेखाकार/वाहन/प्रेस विज्ञप्ति/2025-26 दिनांक 03-07-2025

-: विज्ञप्ति :-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विकास खण्ड साढौली कदीम के खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में शासकीय कार्य हेतु संविदा के आधार पर एक महिन्द्रा बुलेरो वाहन की मासिक किराये पर 01 वर्ष के लिए आवश्यकता है। जो व्यक्ति या फर्म/ठेकेदार वाहन उपलब्ध कराना चाहते है वे दिनांक 17.07.2025 तक अपना कोटेशन बन्द लिफाफे में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में अपरान्ह 2.00 बजे तक जमा करा सकते है। उक्त कोटेशन एवं निविदा उसी दिन सायं 3.00 बजे गठित समीति के समक्ष खोली जायेगी। जिस फर्म का दर सबसे न्यूनतम होगा। उसी फर्म को स्वीकृत किया जायेगा। निविदा के सम्बन्ध में नियम एवं शर्ते किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में देखी जा सकती है।

हस्ता./-
खण्ड विकास अधिकारी
साढौली कदीम (सहारनपुर)

UGRO CAPITAL

यूग्रो कैपिटल लिमिटेड
चौथी मंजिल, टॉवर 3, इक्विनॉक्स बिजनेस पार्क, एलबीएस रोड, कुरिया, मुंबल 400070

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण के तहत अचल संपत्तियों, 'सुरक्षित संपत्तियों', की बिक्री के लिए 15 दिनों की ई–नीलामी बिक्री सूचना सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 का प्रवर्तन, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के साथ पठित। एतत्द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ताओं और गारंटरों को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित सुरक्षित संपत्ति **यूग्रो कैपिटल लिमिटेड** ('सुरक्षित लेनदार') को गिरवी/चार्ज की गई है, जिसका कब्जा सुरक्षित ऋणदाता के अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, उसे उल्लिखित बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित तिथि और समय पर **'जैसा है जो है' और 'जैसा है जहां है' और 'जो कुछ भी है'** पर बेचा जाएगा। यहां नीचे उल्लिखित उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) से सुरक्षित लेनदार को देय राशि की वसूली की तारीख तक आगे का ब्याज और अन्य खर्च शामिल हैं। आरक्षित मूल्य, बयाना राशि जमा (ईएमडी) और ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि भी नीचे उल्लिखित हैः

उधारकर्ता (ओं) /गारंटर (ओं) का विवरण	सुरक्षित संपत्ति(ओं) का विवरणः	नीलामी का विवरण	
1. एसडी एम्पायर एडटेक प्राइवेट लिमिटेड 2. अनिल कुमार 3. अरुणा यादव 4. शांति देवी कैंपस लर्निंग हब प्राइवेट लिमिटेड 5. शैफाली सिंह लैन – HCFDELSEC00001032209, HCFDELSEC00001013050, UGDELSS0000011086, UGDELSS0000044317	संपत्ति 1:– अचल संपत्ति का वह पूरा हिस्सा जो संपत्ति 1 है फ्लैट नंबर एस–1, दूसरी मंजिल पर बिना छत के अधिकार के, एचआईजी फ्रंट साइड, क्षेत्रफल 850 वर्ग फीट और फ्लैट नंबर एफ–1, पहली मंजिल पर बिना छत के अधिकार के सामने की तरफ, 850 वर्ग फीट माप का प्लॉट नंबर 16 पर सेक्टर–5, था, आवासीय कॉलोनी, राजेंद्र नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश और वाणिज्यिक बेसमेंट फ्लोर कवर्ड एरिया 600 वर्ग फीट यानी 55.74 वर्ग मीटर और ग्राउंड फ्लोर बिना छत के अधिकार के, कवर्ड एरिया 140.46 वर्ग मीटर प्लॉट नंबर 16 पर, सेक्टर–5, था, राजेंद्र नगर, गाजियाबाद में स्थित। पूर्व से घिरा– प्लॉट नंबर 15 पश्चिम– प्लॉट नंबर 17 उत्तर– रोड 40 फीट। चौड़ी दक्षिण– गलीरुसीवर लाइन।	आरक्षित मूल्य ईएमडी : ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि नीलामी की तिथि	रु. 4,81,28,900/– रू. 4,812,890/– 11–08–2025 13–08–2025
डिमांड नोटिस का विवरण सूचना की तिथिः 08–01– 2025 बकाया राशिः रु. 5,39,19,930/– 05–11–2024 तक	**संपत्ति 2:–** अचल संपत्ति का वह हिस्सा जो मकान नंबर 1 है, जिसका क्षेत्रफल 187.64 वर्ग मीटर है, खसरा नंबर 01 मीटर से बाहर ओम नगर, गांव अर्थला, परगना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद में स्थित है। पूर्व से घिरा हुआ – सड़क 25 फीट चौड़ी पश्चिम से प्लॉट अन्य मालिक उत्तर से प्लॉट नंबर 02 दक्षिण से संपत्ति अन्य मालिक	आरक्षित मूल्य ईएमडी : ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि नीलामी की तिथि	रु. 2,02,50,675/– रू. 2,025,068/– 11–08–2025 13–08–2025

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया **यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड**/सिक्योर्ड क्रेडिटर की वेबसाइट पर दिए गए लिंक को देखें। यानी **www.ugrocapital.com** या नीचे हस्ताक्षरकर्ता से **authorized.officer@ugrocapital.com** पर संपर्क करें।

स्थानः दिल्ली
दिनांक : 08.07.2025.

हस्ता/- (प्राधिकृत अधिकारी)
यूग्रो कैपिटल लिमिटेड के लिए

AVI POLYMERS LIMITED
("AVI"/"TARGET COMPANY"/"TC")
CIN No.: L27204JH1993PLC005233
Registered Office: Ambica & Co., Old H.B. Road, Ranchi - 834009, Jharkhand
Corporate Office: – S3, Shreejala Prime, Near Priyan Heritage, Opp. Prajapita Bhrama Kumari, Ishwariya Vishwa Vidhyalaya, Sardar Ganj, Anand, Gujarat – 388001
Contact No: +91 7048360390 **Email Id:** avipolymer@gmail.com **Website:** https://avipolymers.com

Recommendations of the Committee of Independent Directors (IDC) of AVI Polymers Limited ("AVI" or the "Target Company") under regulation 26 (7) of the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto ("SEBI (SAST) Regulations") in relation to the Open Offer to the Public Shareholders of the Target Company made by M/s Rootsparkle Trading Private Limited **(Acquirer).**

1.	Date	07.07.2025
2.	Name of the Target Company	AVI POLYMERS LIMITED
3.	Details of the Offer pertaining to Target Company	The Open Offer is being made by the Acquirer in terms of Regulations 3(1) and 4 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 for acquisition of up to 10,63,582 (Ten Lakhs Sixty-Three Thousand Five Hundred Eighty-Two) fully paid-up equity shares of face value of Rs. 10/- each representing 26.00% of the voting share capital of the Target Company from the eligible shareholders of the Target Company for cash at a price of ₹ 13.00/- (Rupees Thirteen) per Equity share **(Offer Price) ("Open Offer").**
4.	Name of the Acquirer	M/s Rootsparkle Trading Private Limited and There is no Person Acting in Concert for this offer.
5.	Name of the Manager to the offer	Grow House Wealth Management Private Limited (CIN.: U67100GJ2022PTC133630) A-606, Privilon, B/H. Iscon Temple, Ambli-Bopal Road, S.G. Highway, Ahmedabad-380054. **Tel:** +91 79353 33132 / +91-79-35333682; **Email:** takeover@growhousewealth.com **Website:** www.growhousewealth.com **Contact Person:** Mr. Hill Shah **SEBI Registration No.:** INM000013262 **SEBI Registration Validity:** Permanent
6.	Members of the Committee of Independent Directors ("IDC")	1. Mr. Ram Kumar Singh (DIN No: 10871912)- Chairperson 2. Ms. Sapna (DIN No: 10294154)- Member
7.	IDC Member's relationship with the Target Company (Director, Equity shares owned, any other contract/ relationship), if any	i. All IDC Members are Independent and Non-Executive directors on the board of Target Company. ii. Further, the members of IDC confirm that they do not hold any equity shares or other securities in the Target Company. iii. Other than their positions as directors of the Target Company, there are no other contracts or relationships with the Target Company.
8.	Trading in the Equity shares/other securities of the Target Company by IDC Members	None of the members of the IDC have traded in Equity Shares/other Securities of the Target Company during the: a. 12 (twelve) months period prior to the date of the Public Announcement (**"PA"**) dated March 06, 2025; and b. Period from the date of the PA till the date of this recommendation.
9.	IDC Member's relationship with the acquirer (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any	None of the IDC Members: a. are the directors of the Acquirer; b. hold any Equity Shares or other Securities of the Acquirer; or c. have any contract or any relationship with the Acquirer.
10.	Trading in the Equity shares/other securities of the acquirer by IDC Members	None of the IDC Members have traded in Equity Shares/other Securities of the Acquirer during the: c. 12 (twelve) months period prior to the date of the Public Announcement ("PA") dated March 06, 2025; and d. Period from the date of the PA till the date of this recommendation.
11.	Recommendation on the Open offer, as to whether the offer, is or is not, fair and reasonable	Based on the review, a) The IDC members are of the view that the offer price of ₹ 13.00/- (Rupees Thirteen only) per Equity Share is in the line with the parameters prescribed by the SEBI (SAST) Regulations, 2011; b) IDC members believe that the offer is in line with the SEBI (SAST) Regulations, 2011and the same is fair and reasonable; and c) It is advised to the shareholders to independently evaluate the open offer vis a vis current market price and take an informed decision before participating in the offer.
12.	Summary of reasons for recommendation	1. The IDC Members have reviewed: a. Public Announcement ("PA") dated 06.03.2025 b. Detailed Public Statement ("DPS") dated 13.03.2025 and which was published on 13.03.2025 c. Draft Letter of Offer ("DLOF") dated 21.03.2025 d. Letter of Offer ("LOF") dated 07.07.2025
		2. The IDC Members also noted that: a. The Equity Shares of the Target Company are frequently traded in terms of Regulation 2(1)(j) of the SEBI SAST Regulations, 2011. b. The Offer Price is in accordance with Regulation 8(1) and 8(2) of the SEBI SAST Regulations, 2011. c. The Offer Price is at par with the (1) negotiated price under the Share Purchase Agreement executed on March 06, 2025 i.e., Rs 13.00/- per Equity Share and Higher than (ii) the volume-weighted average market price for a period of sixty trading days immediately preceding the date of PA on BSE, being only stock exchange where the equity shares of the target company are listed, i.e., ₹ 12.99/- Per Equity Share.
13.	Disclosure of Voting Pattern	These Recommendations were unanimously approved by the Members of the IDC.
14.	Details of Independent Advisors, if any.	None
15.	Any other matter to be highlighted	None

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the SEBI (SAST) Regulations.

Capitalized terms used in this announcement, but not defined, shall have the same meaning assigned to them in the PA, DPS and LOF.

For AVI POLYMERS LIMITED
Sd/-
Name: Mr. Ram Kumar Singh
Chairperson -Committee of Independent Directors (IDC)
DIN: 10871912

Place: Ahmedabad
Date: 07/07/2025

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED
कॉर्पोरेट कार्यालय 167–169, द्वितीय तल, लिटिल माउंट, सैदापेट, चेन्नई –600015। ई–मेल : auction@hindujahousingfinance.com

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु बिक्री सूचना परिशिष्ट- IV-I [नियम 8(6) का परंतुक देखें]

व्यक्ति के संपर्क संख्याः अरुण मोहन शर्मा – 8800898999 । श्वेता आनंद – 8076830437

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जाएगा) के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (जिसे आगे "नियम" कहा जाएगा) के नियम 8(6) के परंतुक के साथ। 1. आम जनता को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटर(ओं) को यह सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति बंधक/प्रभारित होकर सुरक्षित है। ऋणदाता, जिसका कब्जा हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सुरक्षित ऋणदाता) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय 167–169, द्वितीय तल, लिटिल माउंट, सैदापेट, चेन्नई – 600 015 में है, उधारकर्ताओं और गारंटरों से सुरक्षित ऋणदाता को देय राशि की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित तिथियों पर **''जैसा है जहाँ है'', जैसा है जो है'' और ''जो कुछ भी है''** के आधार पर बेचा जाएगा। बिक्री वेबसाइटः **https://www.bankeauctions.com/** पर उपलब्ध ई–नीलामी मंच के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी।

निरीक्षण की तिथिः 07/08/2025 और 08/08/2025 - 14:00 बजे -17:00 बजे । ईएमडी अंतिम तिथिः 8 अगस्त, 2025 17:00 बजे तक । ई-नीलामी की तिथिः 9 अगस्त, 2025 - 11:00 बजे-13:00 बजे । बोली वृद्धि राशिः रू. 5000/-

लैन / उधारकर्ता(ओं)/सह–उधारकतो(ओं)/गारंटर(ओं)		
1 ऋण खाता संख्या **DL/KRB/KRBH/A000000284** 1. श्री अब्दुल वाहिद (उधारकर्ता) 2. श्री फरदीन शाहिद (सह–उधारकर्ता) 3. श्री नफीसा अलाउद्दीन (सह–उधारकर्ता)	मांग नोटिस की तिथि और राशिः 25/07/2024 और 24/07/2024 तक रु.1887012/– कब्जे की तिथि और प्रकारः 11/11/2024 और प्रतीकात्मक कब्जा आरक्षित मूल्य रु. 3742875/–	बयाना राशि जमा (ईएमडी) रु. 374287.50
संपत्ति का विवरणः फ्रीहोल्ड आवासीय मकान नं. बी–180 क्षेत्रफल 100 वर्ग गज (83.61 वर्ग मीटर) खसरा संख्या 1627 मिन के अंतर्गत आता है, जो साहिबाबाद परगना लोनी तहसील और जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) के गांव पसौंडा में गली संख्या 02, पप्पू कॉलोनी में स्थित है। सीमाएंः पूर्व–40 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम–दूसरे मालिक का घर, उत्तर–सफीक का घर, दक्षिण–मलिक साहब का घर		
2 ऋण खाता संख्या **DL/MNR/KCPR/A000000125** 1. श्री आनंद भदौरिया (उधारकर्ता) और 2. श्रीमती शालिनी विजय भान (सह–उधारकर्ता)	मांग नोटिस दिनांक एवं राशिः 12/09/2024 और 11/09/2024 तक रु. 2280383/– कब्जे की तिथि एवं प्रकारः 28/01/2025 और प्रतीकात्मक कब्जा और 05/06/2025 भौतिक कब्जा आरक्षित मूल्य रु. 2304000/– । बयाना राशि	जमा (ईएमडी) रु. 230400/–
संपत्ति का विवरणः फ्रीहोल्ड आवासीय संपूर्ण भूतल बिना छत के अधिकार के कवर्ड एरिया 83.61 वर्ग मीटर। गांव डूंडाहेड़ा परगना लोनी तहसील और जिला गाजियाबाद में ब्लॉक–ए ''न्यू पंचवटी कॉलोनी'' में स्थित खसरा नंबर 1375 के अंतर्गत आने वाले प्लॉट नंबर ए–224 पर निर्मित। सीमाएंः पूर्व–24 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम–प्लॉट नंबर– ए205, उत्तर–प्लॉट नंबर– ए225, दक्षिण–प्लॉट नंबर– ए223		
3 ऋण खाता संख्या **DL/KRB/KRBH/A000000364** 1. श्रीमती चंद्र प्रभा सारस्वत (उधारकर्ता) और 2. श्री मुरारी लाल सारस्वत (सह–उधारकर्ता) और 3. श्री विकास सारस्वत (सह–उधारकर्ता)	मांग नोटिस दिनांक और राशिः 11/10/2024 और 10/9/2024 तक रु. 1535134/– कब्जे की तिथि और प्रकारः 22/02/2025 और प्रतीकात्मक कब्जा आरक्षित मूल्य रु. 2354438/–	बयाना राशि जमा (ईएमडी) रु.235444/–
संपत्ति का विवरणः आवासीय प्लॉट का क्षेत्रफल 75 वर्ग गज यानी 63 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 220 मिन. में शामिल, ग्राम डूंडाहेड़ा, परगना–लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, (उत्तर प्रदेश) की राजस्व संपदा में स्थितय सीमाएंरू पूर्व–विक्रेता का प्लॉट (45 फीट), पश्चिम–विक्रेता का प्लॉट (45 फीट), उत्तर–रूपबसंत का खेत (15 फीट), दक्षिण–मार्ग 13 फीट (15 फीट)		
4 ऋण खाता संख्या **DL/KRB/KRBH/A000000005** 1. श्री चरण लाल (उधारकर्ता) और 2. श्री आशा देवी (सह–उधारकर्ता)	मांग नोटिस दिनांक और राशिः 09/04/2024 और 05/04/2024 तक रु. 677137/– कब्जे की तिथि और प्रकारः 27/02/2025 और प्रतीकात्मक कब्जा आरक्षित मूल्य रु. रु. 1052550/– बयाना	राशि जमा (ईएमडी) रु.105255/–
संपत्ति का विवरणः खसरा संख्या 32, आजाद कॉलोनी, हदबस्त ग्राम, डूंडाहेड़ा, परगना–लोनी, तहसील और जिला–गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201009 में 50 वर्ग गज यानी 41.80 वर्ग मीटर का आवासीय प्लॉट/घर क्षेत्र। सीमाएंः पूर्व–रामजीलाल का प्लॉट, पश्चिम–रामजीलाल का प्लॉट, उत्तर–रास्ता 7 फीट, दक्षिण–विधा देवी का प्लॉट		
5 ऋण खाता संख्या **DL/SDR/SDRA/A000000246** 1. श्री जितेन्द्र सिंह (उधारकर्ता) और 2. श्रीमती जयबीरी देवी (सह–उधारकर्ता)	मांग नोटिस दिनांक और राशिः 19/01/2023 और 11/01/2023 तक रु. 2051221/– कब्जे की तिथि और प्रकारः 09/08/2024 और प्रतीकात्मक कब्जा आरक्षित मूल्य रु. 2255250/–	बयाना राशि जमा (ईएमडी) रु. 225525/–
संपत्ति का विवरणः फ्लैट संख्या एसएफ–03 द्वितीय तल पर बिना छत के अधिकार के, 45 वर्ग मीटर का कवर्ड एरिया। नीति खंड ।, गांव इंदिरापुरम, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित प्लॉट संख्या एनके–।/231, क्षेत्रफल 349.86 वर्ग गज पर निर्मित। सीमाएंः पूर्व–प्लॉट संख्या 240 और 241, पश्चिम–रोड 60 फीट, उत्तर–प्लॉट संख्या 232, दक्षिण–प्लॉट संख्या 230		
6 ऋण खाता संख्या **DL/SDR/SDRA/A000001175** 1. श्री केशो सिंह (उधारकर्ता) और 2. श्रीमती कल्पना देवी (सह–उधारकर्ता)	मांग नोटिस दिनांक और राशिः 28/10/2024 और 20/10/2024 तक रु. 1200906/– कब्जे की तिथि और प्रकारः 19/02/2025 और प्रतीकात्मक कब्जा आरक्षित मूल्य रु. 1109062.50	बयाना राशि जमा (ईएमडी) रु. 110906.25
संपत्ति का विवरणः फ्लैट नंबर टीएफ–1 (सामने की ओर) तीसरी मंजिल, छत के अधिकार क्षेत्र के साथ 29.17 वर्ग मीटर, प्लॉट नंबर 184 पर निर्मित, 140.5 वर्ग गज का क्षेत्रफल, गांव साहिदाबाद कॉलोनी में स्थित, जिसे श्यामपार्क मेन, गली नंबर 4, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता हैय सीमाएंः पूर्व–सीढ़ियां, पश्चिम–खुला क्षेत्र, उत्तर–अन्य, दक्षिण–फ्लैट प्रवेश		
7 ऋण खाता संख्या **DL/DEL/LXND/A000000320** 1. श्री लोकेन्द्र लोकेन्द्र (उधारकर्ता) 2. श्री रीना देव (सह–उधारकर्ता)	मांग नोटिस दिनांक और राशिः 14/10/2024 और 09/10/2024 तक रु. 955784/– छ्कब्जे की तिथि और प्रकारः 22/02/2025 और प्रतीकात्मक कब्जा आरक्षित मूल्य रु. 1567880/–	बयाना राशि जमा (ईएमडी) रु. 156788/–
संपत्ति का विवरणः प्लॉट संख्या 40, क्षेत्रफल 66 वर्ग गज, खसरा संख्या 07 मिनट का हिस्सा, बृजनंदरी कॉलोनी में, गांव– सिद्दकी नगर, परगना लोनी, तहसील और जिला में स्थित है। गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश सीमाएः पूर्व–रास्ता 18 फीट चौड़ा, पश्चिम–प्लॉट नंबर 45, विनोद कुमार, उत्तर–प्लॉट नंबर 39, दक्षिण–प्लॉट नंबर 41		
8 ऋण खाता संख्या **DL/DEL/LXND/A000000952** 1. श्री मनीष कुमार (उधारकर्ता) और 2. श्रीमती माला रानी (सह–उधारकर्ता) और 3. श्री सुरेन्द्र सिंह (सह–उधारकर्ता)	मांग नोटिस दिनांक और राशिः 28/09/2024 और 28/09/2024 को रु. 2074879/– कब्जे की तिथि और प्रकारः 28/02/2025 और प्रतीकात्मक कब्जा आरक्षित मूल्य रु. 2600640/–	बयाना राशि जमा (ईएमडी) रु. 260064/–
संपत्ति का विवरणः प्लॉट नंबर 24 क्षेत्रफल 66.89 वर्ग मीटर, खसरा नंबर में से 214, गांव चिप्पियाना बुजुर्ग, करन एन्क्लेव– ।। परगना और तहसील दादरी गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। सीमाएंः पूर्व–अन्य, पश्चिम–अन्य, उत्तर–प्लॉट संख्या 25, दक्षिण–प्लॉट संख्या 23		
9 ऋण खाता संख्या **DL/KRB/KRBH/A000000346** 1. श्री मनोज शर्मा (उधारकर्ता) एवं 2. सुश्री रिचा शर्मा (सह–उधारकर्ता)	मांग नोटिस दिनांक एवं राशिः 03/04/2024 तथा 10/04/2024 तक रु. 1580444/– कब्जे की तिथि एवं प्रकारः 13/08/2024 एवं प्रतीकात्मक कब्जा आरक्षित मूल्य रु. 1255500/–	बयाना राशि जमा (ईएमडी) रु. 125550/–
संपत्ति का विवरणः कृष्णा वाटिका सुदामापुरी कॉलोनी, ग्राम धुंदाहेड़ा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201009		
10 ऋण खाता सं. **DL/MTG/MTNG/A000000441** 1. श्री रविन्द्र कुमार (उधारकर्ता) एवं 2. सुश्री रेणु शर्मा (सह–उधारकर्ता)	मांग नोटिस दिनांक और राशिः 26/06/2024 और रु. 2977124/– 21/06/2024 तक) कब्जे की तिथि और प्रकारः 18/11/2024 और प्रतीकात्मक कब्जा आरक्षित मूल्य रु. 2808000/–	बयाना राशि जमा (ईएमडी) रु. 280800/–
संपत्ति का विवरणः संपत्ति संख्या 101. ब्लॉक बी (बाएं हाथ का आगे और पीछे की ओर) 1 मंजिल पर बिना छत के अधिकार क्षेत्र के 100 वर्ग गज क्षेत्रफल वाले प्लॉट पर, खसरा संख्या 322 का 200 वर्ग गज क्षेत्रफल वाला हिस्सा, गांव इलाहाबाद परगना और तहसील दादरी और जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। सीमाएंः पूर्व–पश्चिम–उत्तर–दक्षिण–		
11 ऋण खाता सं. **DL/SDR/SDRA/A000000391** 1. श्री निर्मला निर्मला (उधारकर्ता) और 2. श्री राकेश राकेश (सह–उधारकर्ता) और 3. श्री रितिक मेहरा (सह–उधारकर्ता)	डिमांड नोटिस दिनांक और राशिः 25/07/2024 और 24/07/2024 तक रु. 3444818/– कब्जे की तिथि और प्रकारः 14/11/2024 और प्रतीकात्मक कब्जा आरक्षित मूल्य रु. 3492000/–	बयाना राशि जमा (ईएमडी) रु.349200/–
संपत्ति का विवरणः फ्रीहोल्ड आवासीय मकान नं. जी–76/1, कुल क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, खसरा नं. 125, राम स्वरूप कॉलोनी शहीद नगर प्रथम, गांव चिकमबरपुर तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है। सीमाएंः पूर्व–पूजा की संपत्ति, पश्चिम–ज्योति का घर, उत्तर–अन्य संपत्ति, दक्षिण–20 फीट चौड़ी सड़क		
12 ऋण खाता संख्या **DL/JNK/JNKP/A000000880** 1. श्री राजदीप सक्सेना (उधारकर्ता) और 2. श्रीमती अंजना सक्सेना (सह–उधारकर्ता)	मांग नोटिस दिनांक और राशिः 26/06/2024 और 6/21/2024 तक रु. 1259811/– कब्जे की तिथि और प्रकारः 14/11/2024 प्रतीकात्मक और 23.06.2024 भौतिक कब्जा आरक्षित मूल्य रु. 1158875/–	बयाना राशि जमा (ईएमडी) रु.115887.50,
संपत्ति का विवरणः फ्लैट नंबर एफएफ–4, 1 मंजिल पर 350 वर्ग फीट क्षेत्रफल में निर्मित प्लॉट नंबर 1/57 क्षेत्रफल 182.90 वर्ग मीटर में स्थित है, जिसे राजेंद्र नगर, सेक्टर–।।(एलआईजी) टीएचए तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है।		
13 ऋण खाता संख्या **DL/MTG/MTNG/A000000279** 1. श्री राजेश कुमार जट्टन (उधारकर्ता) और 2. श्री सुशीला (सह–उधारकर्ता)	मांग नोटिस दिनांक और राशिः 27/09/2024 और 20/09/2024 तक रु. 1251435/– कब्जे की तिथि और प्रकारः 19/02/2025 प्रतीकात्मक कब्जे आरक्षित मूल्य रु. 2482088/–	बयाना राशि जमा (ईएमडी) रु. 248209/–
संपत्ति का विवरणः छत के अधिकार के आधे हिस्से के साथ पूरी पहली मंजिल, निजी प्लॉट नंबर 37 खसरा नंबर 1096 ब्लॉक–ई जनकपुरी, गांव पासोंडा गाजियाबाद, भारत–201010.		
14 **DL/DEL/LXND/A000001506.** 1. श्री रविंदर कुमार (उधारकर्ता) और 2. श्री अखिल कुमार (सह–उधारकर्ता) और 3. श्रीमती मंजू कुमारी (सह–उधारकर्ता)	डिमांड नोटिस दिनांक और राशिरू 24/07/2024 और 08/07/2024 तक रु. 996446/– कब्जे की तिथि और प्रकारः 03/12/2024 प्रतीकात्मक कब्जा आरक्षित मूल्य रु. 1473680/–	बयाना राशि जमा (ईएमडी) रु. 147368/–
संपत्ति का विवरणः छत के अधिकार के बिना फ्रीहोल्ड आवासीय प्रथम तल, 50 वर्ग गज या कहें 41.805 वर्ग मीटर, प्लॉट नंबर 513 पर निर्मित, खसरा नंबर 1035 से संबंधित, खारा कुवा, गांव अर्थला, परगनान लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। सीमाएंः पूर्व–अन्य का प्लॉट, पश्चिम–20 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर–अन्य का प्लॉट, दक्षिण–अन्य का प्लॉट		
15 **DL/KRB/KRBH/A000000726.** 1. श्री संजय कुमार (उधारकर्ता) और 2. श्रीमती जागेश जागेश (सह– उधारकर्ता) और 3. श्री महेश चंद (सह–उधारकर्ता)	डिमांड नोटिस दिनांक और राशिः 24/07/2024 और 08/07/2024 तक रु. 3583504/– कब्जे की तिथि और प्रकार 18/11/2024 प्रतीकात्मक कब्जा आरक्षित मूल्य रु. 3543994/–	बयाना राशि जमा (ईएमडी) रु. 354400/–
संपत्ति का विवरणः एच नं–195, क्रिश्चियन नगर बागू, प्रदेश, भारत – 201009 विजय नगर बाईपास, चर्च के पास, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश सीमाएंरू पूर्व–चरण सिंह का मकान, पश्चिम–धरम सिंह का प्लॉट, उत्तर–रोड, दक्षिण–राम सिंह का प्लॉट		
16 **GZ/GNR/GNRN/A000000250.** 1. श्रीमती शर्मा रितु भगवान (उधारकर्ता) और 2. श्री सचिन कुमार शर्मा (सह–उधारकर्ता)	डिमांड नोटिस दिनांक और राशिः 11/10/2024 और 09/10/2024 तक रु. 3007736/– कब्जे की तिथि और प्रकारः 19/02/2025 प्रतीकात्मक कब्जा आरक्षित मूल्य रु. 2239445/–	बयाना राशि जमा (ईएमडी) रु. 223945/–
संपत्ति का विवरणः खसरा संख्या में से 73 वर्ग गज यानी 61.03 वर्ग मीटर के प्लॉट भूमि क्षेत्र पर निर्मित संपूर्ण दूसरी मंजिल। 890ध1, वृंदावन गार्डन, हदबस्त गांव पासोंडा, तहसील और जिला–गाजियाबाद में स्थित है। सीमाएंः पूर्व–अन्य संपत्ति, पश्चिम–अन्य संपत्ति, उत्तर–अन्य संपत्ति, दक्षिण–अन्य संपत्ति		
17 ऋण खाता संख्या **DL/KRB/KRBH/A000000411** 1. श्रीमती सुमन देवी (उधारकर्ता) और 2. श्री राम अवतार शर्मा (सह–उधारकर्ता)	मांग नोटिस दिनांक और राशिः 17/06/2024 और 17/06/2024 तक रु. 1095425/– कब्जे की तिथि और प्रकारः 20/12/2024 प्रतीकात्मक कब्जा आरक्षित मूल्य रु. 2385563/–	बयाना राशि जमा (ईएमडी) रु. 238556/–
संपत्ति का विवरणः खसरा संख्या 1131/2मी. में से 50 वर्ग गज क्षेत्रफल का आवासीय प्लॉट, गांव मकनपुर, परगना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, (उत्तर प्रदेश) में स्थित है। सीमाएंः पूर्व–अन्य संपत्ति, पश्चिम–स्कूल, उत्तर–स्कूल, दक्षिण–सड़क/प्रवेश		
18 ऋण खाता संख्या **DL/SDR/SDRA/A000001064** 1. सुश्री सुनीता सुनीता (उधारकर्ता) और 2. श्री विनय विनय (सह–उधारकर्ता)	मांग नोटिस दिनांक और राशिः 11/10/2024 और 09/10/2024 तक रु. 742014/– कब्जे की तिथि और प्रकारः 18/02/2025 प्रतीकात्मक कब्जा आरक्षित मूल्य रु. 1131979/–	बयाना राशि जमा (ईएमडी) रु. 113198/–
संपत्ति का विवरणः प्लॉट संख्या 209–बी, न्याय खंड–। क्षेत्र में बिना छत के अधिकार के दूसरी मंजिल, कॉलोनी इंद्रपुरम तहसील और जिला गाजियाबाद, यूपी में स्थित 20.14 वर्ग मीटर में स्थित है। सीमाएंः पूर्व–मकान नंबर 210 बी, पश्चिम–रोड 120 फीट चौड़ी, उत्तर–ब्लॉक, दक्षिण–मकान नं.212–बी		
19 ऋण खाता संख्या **DL/SDR/SDRA/A000000341** 1. श्री उर्मिला उर्मिला (उधारकर्ता) और 2. श्री भवानी प्रसाद (सह–उधारकर्ता)	मांग नोटिस दिनांक और राशिः 23/02/2024 और 19/01/2024 तक रु. 2778788/– कब्जे की तिथि और प्रकारः 21/06/2024 प्रतीकात्मक कब्जा आरक्षित मूल्य रु. 3736450/–	बयाना राशि जमा (ईएमडी) रु. 373645/–
संपत्ति का विवरणः फ्रीहोल्ड आवासीय मकान संख्या ळ–241 और नया नंबर जी–520, भूमि क्षेत्र 100 वर्ग गज खसरा संख्या 125 में से आवासीय कॉलोनी साहिद नगर गांव चिकमबरपुर परगना लोनी तहसील और जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)य घ्सीमाएंः पूर्व–भूखंड का शेष भाग, पश्चिम–संपत्ति किशन पाल, उत्तर–सड़क 20 फीट चौड़ी, दक्षिण–संपत्ति अन्य		
20 ऋण खाता संख्या **DL/DEL/LXND/A000001302** 1. श्री विक्रम सिंह (उधारकर्ता) और 2. श्री शकुंतला शकुंतला (सह–उधारकर्ता)	मांग नोटिस दिनांक और राशिः 28/09/2024 और 28/09/2024 तक रु. 813001/– कब्जे की तिथि और प्रकारः 27/01/2025 प्रतीकात्मक कब्जा आरक्षित मूल्य रु. 1237440/–	बयाना राशि जमा (ईएमडी) रु. 123744/–
संपत्ति का विवरणः मकान संख्या **2ND E/92**। कामना ब्लॉक **EWS** वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत–201001		

भुगतान का तरीकाः- सभी भुगतान दिल्ली में देय हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किए जाएंगे ।

विशेष निर्देश/चेतावनीः बोलीदाताओं को अपने हित में अंतिम मिनटों/सेकंड में बोली लगाने से बचना चाहिए। ऐसे मामलों में बोलीदाता की ओर से किसी भी चूक/विफलता (इंटरनेट विफलता, बिजली विफलता, आदि) के लिए न तो हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और न ही सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। ऐसी आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्था/विकल्प जैसे बैक–अप बिजली आपूर्ति और जो भी आवश्यक हो, करें ताकि वे ऐसी स्थिति से बच सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

ऑनलाइन ई–नीलामी बिक्री के नियम और शर्तें – 1. संपत्ति **''जहां है जैसी है'', ''जो कुछ भी है'', ''जो कुछ भी है'' और बिना किसी सहारे के''** के आधार पर बेची जा रही है। इस प्रकार बिक्री किसी भी प्रकार की वारंटी और क्षतिपूर्ति के बिना है। 2. ई–नीलामी बिक्री नोटिस में निर्दिष्ट संपत्तिध्परिसंपत्तियों (जैसे विस्तार और माप) का विवरण सुरक्षित लेनदार की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है और सुरक्षित लेनदार किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। वास्तविक विस्तार और आयाम भिन्न हो सकते हैं। 3. सुरक्षित लेनदार द्वारा जारी ई–नीलामी बिक्री नोटिस आम जनता को अपनी बोलियां प्रस्तुत करने के लिए एक निमंत्रण है और यह सुरक्षित लेनदार की ओर से किसी भी प्रतिबद्धता या किसी भी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही माना जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं को सुरक्षित लेनदार के साथ शीर्षक कार्यों को पढ़ने और शीर्षक और वर्तमान स्थिति के बारे में अपनी स्वतंत्र जांचध्उचित परिश्रम करने की सलाह दी जाती है। बोलियां जमा करने से पहले संपत्ति/परिसंपत्तियों और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावोंध्बकाया का विवरण प्रस्तुत करें। 4. नीलामी/बोली केवल वेबसाइट **auction@hindujahousingfinance-.com** और **https://www.bankeauctions.com/** के माध्यम से ''ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड'' के माध्यम से होगी या सेवा प्रदाता ब1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई नीलामी, जो ई–नीलामी मंच के माध्यम से नीलामी की पूरी प्रक्रिया की व्यवस्था और समन्वय करेगी। 5. बोलीदाता अपनी पसंद के स्थान से बोली लगाने के लिए ई–नीलामी में भाग ले सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी बोलीदाता को स्वयं सुनिश्चित करनी होगी। सुरक्षित लेनदार/सेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्याओं, स्वयं के सिस्टम क्रैश, बिजली की विफलता आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। 6. ई–नीलामी पर विवरण, सहायता, प्रक्रिया और ऑनलाइन बोली लगाने के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क कर सकते हैं। 605।, पताः सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तीसरी मंजिल, प्लॉट नंबर 68 सेक्टर–44, गुड़गांव, हरियाणा–122003, (संपर्क व्यक्तिः मिथलेश कुमार, फोन नं. 7080804466, ईमेलः **delhi@c1india.com**, सपोर्ट मोबाइल नंबरः–7291981124/1125/1126)। 7. ई–नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को अपना नाम **https://www.bankeauctions.com/** और **auction@hindujahousingfinance.com** पर पहले से पंजीकृत करना चाहिए और उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना चाहिए। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे सेवा प्रदाता से प्राप्त होने के तुरंत बाद केवल पासवर्ड बदलें। 8. ई–नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को एक वापसी योग्य बयाना राशि जमा (ईएमडी) जमा करना होगा, यानी आरक्षित मूल्य का 10ः (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा ''हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड'' के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट / एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से देय होगा। 9. इच्छुक बोलीदाताओं को विधिवत भरा हुआ बोली फॉर्म जमा करना चाहिए **https://www.bankeauctions.com/** और **auction@hindujahousingfinance.com** पर ईएमडी के लिए डिमांड ड्राफ्ट प्रेषण के साथ एक सीलबंद लिफाफे में प्राधिकृत अधिकारी को हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एफ–8, महालक्ष्मी मेट्रो टावर, सेक्टर–4, वैशाली, गाजियाबाद–201010 को संबोधित करना होगा। सीलबंद लिफाफे पर ष्संपत्ति (जैसा कि ऊपर उल्लेखित हैं) के लिए ऋण खाता संख्या (जैसा कि ऊपर उल्लेखित है) में ई–नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए बोलीष लिखा होना चाहिए। 10. ईएमडी के साथ बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद, प्राधिकृत अधिकारी उनके द्वारा प्राप्त बोलियों की जांच करेगा और योग्य बोलीदाताओं (जिन्होंने आरक्षित मूल्य से अधिक अपनी बोलियां उद्धृत की हैं और सुरक्षित लेनदार के साथ निर्दिष्ट ईएमडी का भुगतान किया है) के विवरण की पुष्टि सेवा प्रदाता सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से करेगा ताकि वे केवल उन्हीं बोलीदाताओं को ई–नीलामी बिक्री नोटिस में उल्लिखित तिथि और समय पर ऑनलाइन अंतर–बोली/नीलामी कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दे सकें। योग्य बोलीदाताओं के बीच बोली की शुरुआत योग्य बोलीदाताओं द्वारा लगाई गई उच्चतम बोली से होगी। परस्पर बोली की प्रक्रिया के दौरान, प्रत्येक में ष10ष मिनट का असीमित विस्तार होगा, अर्थात यदि बोली अंतिम विस्तार से 10 मिनट के भीतर लगाई जाती है, तो ई–नीलामी का अंतिम समय प्रत्येक बार 10 मिनट के लिए स्वचालित रूप से बढ़ जाएगा। 12. एक बार की गई बोलियां रद्द या वापस नहीं ली जाएंगी। बोली लगाने वाले को दिए गए यूजर आईडी से की गई सभी बोलियां उसके द्वारा ही लगाई गई मानी जाएंगी। 13. ई–नीलामी कार्यवाही के बंद होने के तुरंत बाद, उच्चतम बोलीदाता ई–नीलामी बिक्री कार्यवाही में सफल बोलीदाता के रूप में घोषित होने के लिए प्राधिकृत अधिकारी को उसकी मेल आईडी **parmod.chand@hindujahousingfinance.com** और सेवा प्रदाता दोनों को ई–मेल द्वारा अपने द्वारा उद्धृत बोली की अंतिम राशि की पुष्टि करेगा। 14. सफल बोलीदाता तुरंत यानी उसी दिन या अगले कार्य दिवस से पहले, जैसा भी मामला हो, बिक्री का संचालन करने वाले प्राधिकृत अधिकारी को बिक्री मूल्य की राशि का पच्चीस प्रतिशत जमा करेगा, जिसमें जमा की गई बयाना राशि, यदि कोई हो, शामिल है। देय खरीद मूल्य की शेष राशि अचल संपत्ति की बिक्री की पुष्टि के पंद्रहवें दिन या उससे पहले भुगतान की जाएगी। 15. यदि सफल बोलीदाताध्नीलामी क्रेता द्वारा निर्धारित समय के भीतर उपरोक्त निर्धारित राशि का भुगतान करने में चूक होती है, तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी और पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा। 16. सफल बोलीदाता के अनुरोध पर, प्राधिकृत अधिकारी अपने पूर्ण विवेक से बोली राशि का शेष जमा करने के लिए लिखित रूप में अतिरिक्त समय दे सकता है। 17. सफल बोलीदाता लागू टीडीएस (बिक्री आय में से) का भुगतान करेगा और प्राधिकृत अधिकारी को टीडीएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। 18. नगरपालिका/पंचायत कर, बिजली बकाया (यदि कोई हो) और किसी भी अन्य प्राधिकरण के बकाया (यदि कोई हो) को बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने से पहले सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए। संपत्ति से संबंधित सभी वैधानिक बकाया को ध्यान में रखते हुए बोलियाँ लगाई जाएँगी। 19. सफल बोलीदाता के पक्ष में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री प्रमाणपत्र तभी जारी किया जाएगा जब संपूर्ण खरीद मूल्यध्बोली राशि जमा कर दी जाएगी तथा सभी करों/प्रभारों के भुगतान के संबंध में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत किए जाएंगे। 20. परिवहन, स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क तथा अन्य आकस्मिक शुल्कों के लिए लागू कानूनी शुल्क नीलामी क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे। 21. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए ई–नीलामी बिक्री कार्यवाही को स्थगित/रद्द कर सकते हैं। यदि निर्धारित ई–नीलामी बिक्री बिक्री की निर्धारित तिथि से 15 दिन पहले किसी बाद की तिथि के लिए स्थगित की जाती है, तो इसे सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। 22. प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी तथा निर्विवाद है। 23. बोलियां प्रस्तुत करने वाले सभी बोलीदाताओं को ई–नीलामी बिक्री की शर्तों को पढ़ और समझ लिया गया माना जाएगा तथा वे उनसे बंधे हुए हैं। 24. अधिक जानकारी और प्रश्नों के लिए, कृपया प्राधिकृत अधिकारी, श्री अरुण मोहन शर्मा, मोबाइल नंबर 8800898999, श्री अमित कौशिक मोबाइल नंबर 9587088333, श्री अभिजीत कुमार राय मोबाइल नंबर 9131485773 और श्री श्वेता आनंद मोबाइल नंबर– 8076830437, शाखा कार्यालय हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एफ–8, महालक्ष्मी मेट्रो टावर, सेक्टर–4, वैशाली, गाजियाबाद–201010 पर संपर्क करें। यह भी सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के अनुसार उपर्युक्त ऋण खाते के उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटर को उपर्युक्त तिथि/स्थान पर नीलामी बिक्री आयोजित करने के बारे में 15 (पंद्रह) दिन का नोटिस है।

स्थानः दिल्ली दिनांकः 08/07/2025। **हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी – हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

Karnataka Bank Ltd.
Your Family Bank. Across India.

परिसम्पत्ति वसूली प्रबंध शाखा
8–बी, प्रथम तल, राजेन्द्र पार्क, पूसा रोड
नई दिल्ली–110060

फोन : 011–40595617(एक्सटेंशन–240)
ई–मेल : delhiarm.kb@ktkbank.com
वेबसाइट : www.karnatakabank.coma
CIN : L85110KA1924PLC001128

अचल संपत्ति की बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्ति की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सार्वजनिक रूप से जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो कि कजर्दाता, कर्नाटक बैंक लिमिटेड के पक्ष में बंधक / चार्ज की गई है, जिसका **भौतिक कब्जा** कर्नाटक बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा **25.10.2024** को ले लिया गया है, उसे 1) **श्री अनुज गांधी, पुत्र श्री चिरंजीव कुमार गांधी, 2) श्रीमती कविता गांधी पत्नी श्री अनुज गांधी दोनों (1) और (2) के पते हैः** बी–21, ओवरसीज अपार्टमेंट, वसुंधरा एन्क्लेव, पूवी दिल्ली, पिन–110096, साथ ही दोनों : प्लॉट नंबर 83, इरोज गार्डन कॉलोनी, ब्लॉक–III, सूरज कुंड रोड, गाँव–लक्कड़पुर, फरीदाबाद, हरियाणा, पिन–121009 जो उधारकर्ता/गारंटर/सह-देनदार हैं,से कर्नाटक बैंक लिमिटेड,फरीदाबाद ब्रांच, एससीओ–149, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 21सी, फरीदाबाद–121001, हरियाणा, सुरक्षित लेनदार को देय सावधि **ऋण खाता संख्या 2257001600049501 के तहत 15.04.2025 से भविष्य के ब्याज, साथ ही लागत सहित रुपये 1,17,32,737.36 (रुपये एक करोड़ सत्रह लाख बत्तीस हज़ार सात सौ सैंतीस और छत्तीस पैसे मात्र)** की वसूली के लिये "जैसी है जहाँ है", "जैसी है", और "जो कुछ भी है" आधार पर 30.07.2025 को बिक्री की जायेगी।

अचल संपत्ति का विवरणः

श्रीमती कविता गांधी के स्वामित्व में प्लॉट नंबर 83 पर पहली मंजिल पर निर्मित आवासीय स्थान सं. 1 जिसका माप 1408 वर्ग फुट है, का संपूर्ण भाग तथा हिस्सा, प्लॉट का क्षेत्रफल 177.26 वर्ग मीटर है और यह एरोज गार्डन कॉलोनी, ब्लॉक–III, सूरज कुंड रोड, ग्राम–लक्कड़पुर, फरीदाबाद, हरियाणा–121009 में स्थित है। **सीमाएंः** पूर्वः प्लॉट नंबर 69/III, पश्चिमः प्लॉट नंबर 84/III, उत्तरः प्लॉट नंबर 82/III, दक्षिणः 45'–0 चौड़ी सड़क

आरक्षित मूल्य/ अपसेट मूल्य जिसके नीचे संपत्ति बेची नही जा सकतीः रु. 1,40,39,000.00 (रुपये एक करोड़ चालीस लाख उनतालीस हज़ार मात्र)

जमा करने के लिए धरोहर राशिः रु. 14,03,900.00 (रुपये चौदह लाख तीन हज़ार नौ सौ मात्र)

(उधारकर्ता/बंधक कर्ता का ध्यान संपत्ति को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

(यह सूचना प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम9 के उप -नियम(1) के अंतर्गत उधारकर्ता/गारंटर को दी जा रही सूचना भी मानी जाएगी।)

नीलामी की विस्तृत शर्तें और नियम कर्नाटक बैंक की वेबसाइट www.karnatakabank.com की लिंक पर "मेगा ई-नीलामी 30.07.2025" शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध हैं। ई–नीलामी 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ 30.07.2025 को प्रातः 11:30 बजे से 12:30 बजे तक पोर्टल https://bankauctions.in/ के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इच्छुक बोलीदाता को https://bankauctions.in/ पर पंजीकरण कराना होगा और यूजर आईडी तथा तथा मैसर्स 4क्लोज़र, 605ए, 6ठी मंजिल, मैत्रीवनम, अमीरपेट, हैदराबाद–500038 ,संपर्कः+91–8142000066, 0915160064, ई–मेल info@bankauctions.in से ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण (संभावित रूप से 29.07.2025 को) पासवर्ड प्राप्त करना होगा।

दिनांकः 07.07.2025
स्थानः फरीदाबाद

कर्नाटक बैंक लिमिटेड के लिए
मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी

प्रपत्र– 'जी'
अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण
श्रिया ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली में व्यापार क्षेत्र में कार्यरत

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के विनियमन 36ए के उप–विनियमन (1) के तहत (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016)

प्रासंगिक विवरण

1.	**कॉर्पोरेट देनदार का नाम** साथ में पैन/सीआईएन/एलएलपी नं.	**श्रिया ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड** पैन:AAACS0977K | सीआईएन:U50300DL1991PTC044241
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता	**पंजीकृत कार्यालयः** 4677, गली मोहर सिंह जाट, पहाड़ी धीरज, नई दिल्ली–110006 **प्रधान कार्यालयः** जी109ए, रीको इंडस्ट्रियल क्षेत्र, सीतापुरा, जयपुर, राजस्थान – 302022
3.	वेबसाइट का यूआरएल	लागू नहीं
4.	उस स्थान का विवरण जहां अधिकांश अचल संपत्तियां स्थित हैं	ट्रायफ मोटर्स, गजुकी पुलिया के पास, तिजारा रोड, अलवर, राजस्थान
5.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं की स्थापित क्षमता	0 (नीचे हस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार)
6.	मुख्य उत्पादों की मात्रा और मूल्य/पिछले वित्तीय वर्ष में बेची गई सेवाएं	0 (नीचे हस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार)
7.	कर्मचारियों/कामगार की संख्या	0 (प्रदान की गई जानकारी के अनुसार)
8.	दो वर्षों के अंतिम उपलब्ध वित्तीय विवरण (अनुसूची के साथ), लेनदारों की सूची, प्रक्रिया की बाद की घटनाओं के लिए प्रासंगिक तिथियां सहित अधिक विवरण यहां उपलब्ध हैं	विस्तृत जानकारी ईमेल द्वारा प्राप्त की जा सकती हैः **cirp.shriyaoverseas@gmail.com**
9.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत समाधान आवेदकों के लिए पात्रता यहां उपलब्ध है	विस्तृत जानकारी ईमेल द्वारा प्राप्त की जा सकती हैः **cirp.shriyaoverseas@gmail.com**
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	**23 जुलाई 2025**
11.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतरिम सूची जारी करने की तिथि	**02 अगस्त 2025**
12.	अंतरिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	**07 अगस्त 2025**
13.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	**17 अगस्त 2025**
14.	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स और समाधान योजना के लिए अनुरोध जारी करने की तिथि	**22 अगस्त 2025**
15.	समाधान योजनाएं जमा करने की अंतिम तिथि	**22 सितंबर 2025**
16.	ईओआई जमा करने के लिए संसाधित ईमेल आईडी	**cirp.shriyaoverseas@gmail.com**
17.	कॉर्पोरेट देनदार की एमएसएमई के रूप में पंजीकरण स्थिति का विवरण	लागू नहीं

तिथि : 08.07.2025
स्थान : जयपुर

हस्ता/–
सौरभ मालपानी (समाधान प्रोफेशनल)
श्रिया ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में
पंजीकरण सं.:IBBI/IPA-001/IP-P01265/2018-2019/12047
असाइनमेंट का प्राधिकरण (एएफए): AA1/12047/02/311225/107749
एएफए वैधता: 31.12.2025

UMMEED

उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः 2009-2014, मैग्नम ग्लोबल पार्क, 20 फ्लोर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड सेक्टर 58, गुड़गांव, हरियाणा, भारत, 122011
सीआईएनः U64990HR2016PTC057984

परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें] कब्जा सूचना

जबकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (अधिनियम, 2002(54, 2002) के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ खनियम 3, के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार ऋणी/ऋणियों को मांग नोटिस जारी करते हैं, जिसमें संबंधित ऋणी को नोटिस में उल्लिखित राशि को सभी लागतों, प्रभारों और व्ययों के साथ भुगतान की वास्तविक तिथि तक उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।

उक्त ऋणी/सह–ऋणी/गारंटर/बंधककर्ता द्वारा राशि वापस न किए जाने के कारण, ऋणी/सह–ऋणी/गारंटर/बंधककर्ता तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अन्तर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ इस तिथि को नीचे वर्णित संपत्ति का प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता तथा आम जनता को इस संपत्ति से संबंधित लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है तथा संपत्ति से संबंधित लेन–देन उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। इसमें निर्दिष्ट राशि के लिए संबंधित तिथियों से पूर्ण भुगतान तक ब्याज, लागत और शुल्क सहित।

उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है। उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं और गारंटरों, प्रतिभूतियों, बकाया राशि, धारा 13(2) के तहत भेजे गए मांग नोटिस और उसके तहत दावा की गई राशि और कब्जे की तारीख का विवरण निम्नानुसार हैः

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम और पता, सह उधारकर्ता गारंटर ऋण खाता संख्या और ऋण राशि	मांग नोटिस की तिथि	प्रतीकात्मक कब्जे की तिथि
1	**1. चरण सिंह पुत्र रमेश चंद (उधारकर्ता)** **2. राम रति पत्नी चरण सिंह (सह–उधारकर्ता)** **दोनों यहां रहते हैं–** मकान नंबर 101, दीघोट (135), पलवल, हरियाणा–121105, 3. रवि कुमार पुत्र रमेशचंद (सह–उधारकर्ता), 4. रमेश पुत्र भगवान (सह–उधारकर्ता) दोनों ऊपर रहते हैं– मकान नंबर 921, दीघोट (135), पलवल, हरियाणा–121105 **ऋण संख्या** LXGGN02823-240034924 **ऋण समझौता की तिथि** – 15–मार्च–24 **ऋण राशि** रु.780000/–	10-अप.-25 **देय राशि रु. में.** रु.775,263/– (रुपये सात लाख पचहत्तर हजार दो सौ तिरसठ मात्र) 10 अप्रैल 2025 तक + अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्क 11 अप्रैल 2025 से	04–जुल–2025
	सुरक्षित संपत्ति का विवरणः– 5 मरला के क्षेत्रफल वाली संपत्ति का वह हिस्सा जो खेवट/खाता संख्या 546/567, खसरा संख्या 334(0–10) इंतकाल संख्या 6569 और 6570 गैर मुमकिन में शामिल 10 मरला की संपत्ति का 1/2 हिस्सा है, जो दीघोट, तहसील होडल, जिला पलवल हरियाणा की राजस्व संपदा में स्थित है। तकनीकी रिपोर्ट दिनांक 02.03.2022 के अनुसार सीमाबद्ध पूर्व– रतन की संपत्ति, पश्चिम– लाला की संपत्ति, उत्तर– बीर सिंह की संपत्ति, दक्षिण– सड़क 20 फीट चौड़ी		
2	**1. तबस्सुम. पत्नी अफरोज (उधारकर्ता)** **2. अफरोज पुत्र मो. वकील (सह–उधारकर्ता)** उपरोक्त दोनों निवास स्थान – मकान नं. डी–11, गली नंबर 4, साहिल सिटी, अशोक विहार, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र. –201102 **ऋण संख्या** LXLAX02917-180001255 **ऋण समझौता की तिथि** – 28–फरवरी–18 **ऋण राशि** रु.318101/–	10–अप्रैल–25 **देय राशि रु. में.** रु.224160/– (रुपये दो लाख चौबीस हजार एक सौ साठ मात्र) 10 अप्रैल 2025 तक+. अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्क 11 अप्रैल 2025 से	02-जुला.-2025
	सुरक्षित संपत्ति का विवरणः– आवासीय संपत्ति का वह पूरा हिस्सा, क्षेत्रफल 34 वर्ग गज, खसरा नंबर 383, आवासीय कॉलोनी साहिल सिटी, हदबस्त गांव लोनी, परगना और तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित, पूर्व–अन्य प्लॉट, पश्चिम–अन्य प्लॉट, उत्तर–अन्य प्लॉट, दक्षिण– रास्ता चौड़ा 14 फीट।		
3	**(1) प्रीतम सिंह पुत्र निहाल सिंह (उधारकर्ता)** **(2) सुनीता रानी पत्नी प्रीतम (सह–उधारकर्ता)** उपरोक्त दोनों मकान नंबर पर रहते हैं। 79, ग्राम समसपुर,गुड़गांव, हरियाणा– 122003 इसके अलावा– माता के पासमंदिर, सेक्टर 51, समसपुर, गुड़गांव, हरियाणा122003 इसके अलावा– दुकान नंबर 5 गांव समसपुर गुड़गांव हरियाणा–122003 **ऋण संख्या** LXJNP02818-190002117 **ऋण समझौता की तिथि** – 30–जून–18 **ऋण राशि** रु.683827/–	10-अप्रैल-25 **देय राशि रु.** रु. 276598/– (रुपये दो लाख छिहत्तर हजार पांच सौ अंठानबे मात्र) 10–अप्रैल–2025 तक + . 11–अप्रैल–2025 से अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्क	03-जुल.-2025
	सुरक्षित संपत्ति का विवरणः– संपत्ति का वह पूरा हिस्सा – खेवट नं.185, खाता नं. 188, मु. नं. 9, किला नं. 19/2 (0–14), किता 1, क्षेत्रफल 0 कनाल 14 मरला का 1/24 भाग, क्षेत्रफल 0 कनाल 0 मरला 5 सरसई आई.ई., क्षेत्रफल 17 वर्ग गज, वाका मौजा समसपुर, उप तहसील – वजीराबाद, जिला– गुरुग्राम, हरियाणा। सीमाएं– पूर्व– 7 फीट और मकान कैलाश पुत्र श्री नत्थू राम, पश्चिम– 16 फीट 6 इंच और मकान उदय सिंह पुत्र श्री निहाल सिंह, उत्तर– 13 फीट चौड़ी सड़क (सार्वजनिक सड़क), दक्षिण– 16 फीट और मकान कैलाश पुत्र श्री नत्थू राम		

दिनांकः 08–जुलाई–2025
स्थानः गुरुग्राम, हरियाणा

प्राधिकृत अधिकारी, श्री गौरव त्रिपाठी मोबाइल– 9650055701
उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

सूचना

सूचित करण्यात येते की, एटी रोजेस सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, कन्नमवार नगर १, विक्रोळी (पूर्व), मुंबई - ४०००८३ येथील ५ सामान्य शेअर्स (क्रमांक २६१ ते २६५) संबंधित शेअर प्रमाणपत्र क्र. ५३, श्रीमती सलिना सुभाष तोडकर यांच्या नावाचे आणि रूमचे मूळ कागदपत्रे हरवले गेले आहे. पत्ता: इ.क्र.२०१/बी, रूम नं. ८०८, एटी रोजेस सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, कन्नमवार नगर १, विक्रोळी (पूर्व), मुंबई - ४०००८३, या शेअर प्रमाणपत्राची पुनर्प्रती मिळविण्यासाठी अर्ज केला आहे. शेअर प्रमाणपत्र श्री. निखिल सुभाष तोडकर आणि श्री. वतिन सुभाष तोडकर यांचे नावे हस्तांतरण करावयाचे आहे.

कोणतेही दावे अथवा हरकती असल्यास, सूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत लेखी स्वरूपात सादर करावयात. विहित कालावधीत हरकत प्राप्त न झाल्यास संस्थेला डुप्लिकेट शेअर प्रमाणपत्र जारी करण्याचे स्वातंत्र्य राहील.

तारीख: ८ जुलै २०२५

ठिकाण: मुंबई

संपर्क : सेक्रेटरी / चेअरमन

एटी रोजेस सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, कन्नमवार नगर १, विक्रोळी (पूर्व), मुंबई - ४०००८३

सत्यम को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि.

नोंदणी क्र. डब्ल्यूआर/एचएसजी/टीसी/१४३३/९६-९७ दिनांक २७.०९.९६

लिंक रोड, एसएचवी पोस्ट ऑफिससमोर, जयराज नगरजवळ, बोरीवली (पश्चिम), मुंबई- ४०००९१

सूचना

स्वर्गीय श्रीमती सुषमा प्रकाश भार्गव व स्वर्गीय प्रकाश चंद्र भार्गव हे सत्यम को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि., पत्ता: लिंक रोड, एसएचवी पोस्ट ऑफिससमोर, जयराज नगरजवळ, बोरीवली (पश्चिम), मुंबई- ४०००९१ या सोसायटीचे सभासद होते आणि सदर सोसायटीच्या इमारतीमधील फ्लॅट क्र.सी-४२५ (भाग प्रमाणपत्र क्र. १२३चे अनुक्रमांक ४२१ ते ४२५ चे रु. ५०/- प्रत्येकीचे ५ शेअर्स) चे धारक आहेत. दोघांचेही कोणतेही वारसदार न नेमता निधन झाले.

श्रीमती अनिता विक्रम भार्गव उर्फ कुमारी अनिता प्रकाश भार्गव, श्रीमती मिता मिलिंद भार्गव उर्फ कुमारी मिता प्रकाश भार्गव व श्री. जयेश प्रकाश भार्गव हे स्वर्गीय श्रीमती सुषमा प्रकाश भार्गव व स्वर्गीय प्रकाश चंद्र भार्गव यांचे कायदेशीर वारसदार असल्याचा दावा केला आहे. श्रीमती अनिता प्रकाश भार्गव, श्रीमती मिता प्रकाश भार्गव यांनी त्यांचे भाग श्री. जयेश प्रकाश भार्गव यांच्या नावे मुक्तता करारनामा केला आहे.

सोसायटीद्वारे सोसायटीच्या भांडवल/मिळकतीमधील, मयत सभासदाचे सोसायटीच्या भांडवल/मालमत्तेतील सदर शेअर्स/हित हस्तांतरण होण्यास वारस किंवा अन्य दावेदारी/आक्षेप घेणारे यांच्याकडून काही दावे किंवा आक्षेप असल्यास ते हा सूचनेच्या प्रसिद्धीपासून १५ दिवसांत सोसायटीच्या भांडवल/मिळकतीमधील मयत सभासदाच्या शेअर्स व हितसंबंधाच्या हस्तांतरणाकरिता त्यांच्या दाव्याच्या/आक्षेपांच्या पुष्ठ्यार्थ अशी कागदपत्रे आणि अन्य पुराव्याच्या प्रतिंसह सोसायटीच्या उप-विधी अंतर्गत मागविण्यात येत आहेत. वर दिलेल्या मुदतीत जर काही दावे/आक्षेप प्राप्त झाले नाहीत, तर मयत सभासदाच्या सोसायटीच्या भांडवल/मिळकतीमधील शेअर्स व हितसंबंधांशी सोसायटी उपविधीतील तरतुदीनुसार व्यवहार करण्यास सोसायटी मोकळी असेल. जर सोसायटीच्या भांडवल/मिळकतीमधील मयत सभासदाच्या शेअर्स व हितसंबंधाच्या हस्तांतरणास काही दावे/आक्षेप सोसायटीने प्राप्त केले तर, सोसायटीच्या उपविधीतील तरतुदीनुसार त्यावर सोसायटी कार्यवाही करेल. सोसायटीच्या नोंदणीकृत उपविधीची प्रत दावेदार/आक्षेपकाद्वारे निरीक्षणाकरिता सोसायटीच्या कार्यालयात/सोसायटी सचिवाकडे सदर सूचना प्रसिद्धीच्या तारखेपासून दु.०१.३० ते दु. ३.३० दरम्यान उपलब्ध आहेत.

च्या वतीने व करिता

ठिकाण: मुंबई

दिनांक: ०७.०७.२०२५

सत्यम को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि.

अध्यक्ष/सचिव

सार्वजनिक सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की श्री. नफीस इल्यास खत्री, ६३८, गोरी हाऊस, टीपीएस ३, ८वा. रोड, हॉटेल ओरिएंटल पॅलेससमोर, वार पश्चिम, मुंबई ४०० ०५२ येथे राहतात. त्यांनी मूळ करारनामा कागदपत्र हरवला आहे. सदर कराराच्या संदर्भात किंवा सदर सदनिकेच्या हस्तांतरण, गहाणखत, शुल्क धारणाधिकार किंवा इतर कोणत्याही आधारावर कोणताही दावा असलेल्या कोणत्याही व्यक्ती/व्यक्तींनी या सूचनेचे प्रकाशन झाल्यापासून १५ (पंधरा) दिवसांच्या कालावधीत आवश्यक तपशीलांसह त्यांच्या दाव्यांची माहिती अधोस्वाक्षरी कर्त्यांना देऊ शकता अन्यथा, त्यानंतर सोसायटीकडून कोणताही दावा मान्य केला जाणार नाही आणि सोसायटीकडून सदर सदस्याला करारनामा जारी केला जाईल.

सही/-

स्थळ: मुंबई नफीस इल्यास खत्री

दिनांक: ०८-०७-२०२५

जाहीर सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, फ्लॅट क्र.३०८, इमारत क्रमांक ०८, कापसी निवास सहकारी गृहनिर्माण संस्था लिमिटेड, लिजिया नगर, एस.व्ही. रोड, गोरेगाव (पश्चिम), मुंबई ४०००६२ ची मालकी २८ मे २०२५ रोजी कोणतेही वारसदार न नेमता निधन झालेल्या दिवंगत श्री. सुनील भगवान यादव यांच्या कायदेशीर वारसांच्या नावे हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव आहे.

दिवंगत श्री.सुनील भगवान यादव हे सदर मालमत्तेचे एकमेव मालक होते आणि सदर सोसायटीच्या २५० रुपये दर्शनी मूल्य असलेले, विशिष्ट क्र.५५६ ते ५६० असलेले, शेअर सर्टिफिकेट क्र.११२ चे धारक होते.

मृतांच्या कायदेशीर वारसांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत:

- श्रीमती शुभांगी सुनील यादव - पत्नी
- श्री. हर्षद सुनील यादव - मुलगा
- श्री. भगवान सुनील यादव - मुलगा
- कु. भागीरथी सुनील यादव - मुलगी

वरील सर्व कायदेशीर वारस वरील मालमत्तेच्या पत्त्यावर राहत आहेत.

कायदेशीर वारसांनी कापसी निवास सहकारी गृहनिर्माण संस्था लिमिटेडकडे सदर फ्लॅट आणि शेअर्स संयुक्तपणे किंवा त्यांच्यापैकी एकाच्या किंवा अधिक नावाने हस्तांतरित करण्यासाठी अर्ज करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे, जसे की परस्पर सहमतीने ठरवले जाईल.

प्रस्तावित हस्तांतरणावर कोणताही दावा, हक्क, शीर्षक, हितसंबंध किंवा आक्षेप असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने त्यांचे आक्षेप सर्व सहाय्यक कागदपत्रांसह, ही सूचना प्रकाशित झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत सोसायटीच्या फ्लॅट क्र.८/१०४, चंद्रभागा इमारत, युनिटेक कॉम्प्लेक्स, युनिटेक रोड, बोळिंज, विरार (पश्चिम) - ४०१३०३ येथील कार्यालयात लेखी स्वरूपात सादर करणे आवश्यक आहे.

जर निर्धारित वेळेत कोणतेही आक्षेप प्राप्त झाले नाहीत, तर सोसायटी हिंदू वारसाहक्क कायद्यातील तरतुदी आणि सोसायटीच्या नियम आणि विनियमांनुसार, कायदेशीर वारसांच्या नावे ही मालमत्ता हस्तांतरित करण्यास पुढे जाईल. त्यानंतर प्राप्त झालेले दावे, जर असतील तर, विचारात घेतले जाणार नाहीत.

दिनांक: ०८.०७.२०२५ ठिकाण: मुंबई

सही/-

दिवंगत श्री. सुनील भगवान यादव यांचे कायदेशीर वारस

सही/-

ॲड. सोनम ठाकूर

३२१, तळमजला, रघुलीला मेगा मॉल, कांदिवली पश्चिम, मुंबई - ४०००६७

मोबाईल: ७७१८९८६६४९

ईमेल: advocatetsonam782@gmail.com

AVI POLYMERS LIMITED

("AVI"/"TARGET COMPANY"/"TC")

CIN No.: L27204JH1993PLC005233

Registered Office: Ambica & Co., Old H.B. Road, Ranchi - 834009, Jharkhand

Corporate Office: – S3, Shreejala Prime, Near Priyan Heritage, Opp. Prajapita Bhrama Kumari, Ishwariya Vishwa Vidhyalaya, Sardar Ganj, Anand, Gujarat – 388001

Contact No: +91 7048360390 **Email Id:** avipolymer@gmail.com **Website:** https://avipolymers.com

Recommendations of the Committee of Independent Directors (IDC) of AVI Polymers Limited ("AVI" or the "Target Company") under regulation 26 (7) of the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto ("SEBI (SAST) Regulations") in relation to the Open Offer to the Public Shareholders of the Target Company made by M/s Rootsparkle Trading Private Limited (**Acquirer**).

1.	Date	07.07.2025
2.	Name of the Target Company	AVI POLYMERS LIMITED
3.	Details of the Offer pertaining to Target Company	The Open Offer is being made by the Acquirer in terms of Regulations 3(1) and 4 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 for acquisition of up to 10,63,582 (Ten Lakhs Sixty-Three Thousand Five Hundred Eighty-Two) fully paid-up equity shares of face value of Rs. 10/- each representing 26.00% of the voting share capital of the Target Company from the eligible shareholders of the Target Company for cash at a price of ₹ 13.00/- (Rupees Thirteen) per Equity share **(Offer Price) ("Open Offer")**.
4.	Name of the Acquirer	M/s Rootsparkle Trading Private Limited and There is no Person Acting in Concert for this offer.
5.	Name of the Manager to the offer	Grow House Wealth Management Private Limited (CIN.: U67100GJ2022PTC133630) A-606, Privilon, B/H. Iscon Temple, Ambli-Bopal Road, S.G. Highway, Ahmedabad-380054. **Tel:** +91 79353 33132 / +91-79-35333682; **Email:** takeover@growhousewealth.com **Website:** www.growhousewealth.com **Contact Person:** Mr. Hill Shah **SEBI Registration No.:** INM000013262 **SEBI Registration Validity:** Permanent
6.	Members of the Committee of Independent Directors ("IDC")	1. Mr. Ram Kumar Singh (DIN No: 10871912)- Chairperson 2. Ms. Sapna (DIN No: 10294154)- Member
7.	IDC Member's relationship with the Target Company (Director, Equity shares owned, any other contract/ relationship), if any	i. All IDC Members are Independent and Non-Executive directors on the board of Target Company. ii. Further, the members of IDC confirm that they do not hold any equity shares or other securities in the Target Company. iii. Other than their positions as directors of the Target Company, there are no other contracts or relationships with the Target Company.
8.	Trading in the Equity shares/other securities of the Target Company by IDC Members	None of the members of the IDC have traded in Equity Shares/other Securities of the Target Company during the: a. 12 (twelve) months period prior to the date of the Public Announcement ("**PA**") dated March 06, 2025; and b. Period from the date of the PA till the date of this recommendation.
9.	IDC Member's relationship with the acquirer (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any	None of the IDC Members: a. are the directors of the Acquirer; b. hold any Equity Shares or other Securities of the Acquirer; or c. have any contract or any relationship with the Acquirer.
10.	Trading in the Equity shares/other securities of the acquirer by IDC Members	None of the IDC Members have traded in Equity Shares/other Securities of the Acquirer during the: c. 12 (twelve) months period prior to the date of the Public Announcement ("PA") dated March 06, 2025; and d. Period from the date of the PA till the date of this recommendation.
11.	Recommendation on the Open offer, as to whether the offer, is or is not, fair and reasonable	Based on the review, a) The IDC members are of the view that the offer price of ₹ 13.00/- (Rupees Thirteen only) per Equity Share is in the line with the parameters prescribed by the SEBI (SAST) Regulations, 2011; b) IDC members believe that the offer is in line with the SEBI (SAST) Regulations, 2011and the same is fair and reasonable; and c) It is advised to the shareholders to independently evaluate the open offer vis a vis current market price and take an informed decision before participating in the offer.
12.	Summary of reasons for recommendation	1. The IDC Members have reviewed: a. Public Announcement ("PA") dated 06.03.2025 b. Detailed Public Statement ("DPS") dated 13.03.2025 and which was published on 13.03.2025 c. Draft Letter of Offer ("DLOF") dated 21.03.2025 d. Letter of Offer ("LOF") dated 07.07.2025
		2. The IDC Members also noted that: a. The Equity Shares of the Target Company are frequently traded in terms of Regulation 2(1)(j) of the SEBI SAST Regulations, 2011. b. The Offer Price is in accordance with Regulation 8(1) and 8(2) of the SEBI SAST Regulations, 2011. c. The Offer Price is at par with the (1) negotiated price under the Share Purchase Agreement executed on March 06, 2025 i.e., Rs 13.00/- per Equity Share and Higher than (ii) the volume-weighted average market price for a period of sixty trading days immediately preceding the date of PA on BSE, being only stock exchange where the equity shares of the target company are listed, i.e., ₹ 12.99/- Per Equity Share.
13.	Disclosure of Voting Pattern	These Recommendations were unanimously approved by the Members of the IDC.
14.	Details of Independent Advisors, if any.	None
15.	Any other matter to be highlighted	None

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the SEBI (SAST) Regulations.

Capitalized terms used in this announcement, but not defined, shall have the same meaning assigned to them in the PA, DPS and LOF.

For AVI POLYMERS LIMITED

Sd/-

Name: Mr. Ram Kumar Singh

Chairperson -Committee of Independent Directors

DIN: 10871912

Place: Ahmedabad

Date: 07/07/2025

जाहीर नोटीस

सहायक निबंधक, परसेवा, मुंबई

महाराष्ट्र राज्य बिगर कृषी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि. मुंबई यांचे कार्यालय पत्ता : ६/६०३, दुर्गा कृपा को-ऑप हौसिंग सोसायटी, हनुमान चौक, नवघर रोड, मुलुंड (पूर्व), मुंबई-४०००८१.

विशालदीप सहकारी पतसंस्था मर्यादित

पत्ता :- ५/८५१, बीएमसी कॉलनी, मालवणी पोलीस स्टेशनसमोर, मालाड (प), मुंबई- ४०००९५. .... अर्जदार

अनुक्रमांक १ ते ४८

अ. क्र.	जाब देणाऱ्याचे नाव	अर्ज दाखल दिनांक	दावा क्रमांक	दावा रक्कम	जाब देणार क्र.
१	श्री. दिपक संपत मगर	०४/०६/२०२५	२२८१/२०२५	१०२१५९९	१
२	श्री. संपत धोंडीराम मगर	०४/०६/२०२५	२२८१/२०२५	१०२१५९९	२
३	श्री. बसवराज नागेंद्र संगोगी	०४/०६/२०२५	२२८१/२०२५	१०२१५९९	३
४	श्री. बंडू रामचंद्र श्रीराम	०४/०६/२०२५	२२८१/२०२५	१०२१५९९	४
५	श्री. रुपेश काशीनाथ घाडी	०४/०६/२०२५	२२८४/२०२५	७७२३३०	१
६	श्री. काशीनाथ अनाजी घाडी	०४/०६/२०२५	२२८४/२०२५	७७२३३०	२
७	श्री. कल्पेश काशीनाथ घाडी	०४/०६/२०२५	२२८४/२०२५	७७२३३०	३
८	श्री. संतोष रामगुराम कामत	०४/०६/२०२५	२२८२/२०२५	६५७६८१	१
९	श्री. गणेश पेरीस्वामी शेट्टी	०४/०६/२०२५	२२८५/२०२५	२१२७१४	१
१०	यासीन हुसैन शेख	०४/०६/२०२५	२२८५/२०२५	२१२७१४	२
११	मुनावर हुसैन अनवर हुसैन अली	०४/०६/२०२५	२२८५/२०२५	२१२७१४	३
१२	श्री. गणेश यशवंत पाटील	०४/०६/२०२५	२२८६/२०२५	२९८३३२	१
१३	श्री. दिपक मादनी पाटील	०४/०६/२०२५	२२८६/२०२५	२९८३३२	४
१४	रेणुका प्रदीप गोसावी	०४/०६/२०२५	२२८८/२०२५	८६५१९१	१
१५	सौ. अनुष्का प्रसाद शिंदे	०४/०६/२०२५	२२८८/२०२५	८६५१९१	२
१६	श्री. नरेश सुंदर जाधव	०४/०६/२०२५	२२८८/२०२५	८६५१९१	३
१७	पुष्पा गोपाळ सिंह	०४/०६/२०२५	२२९३/२०२५	२८४२१७०	१
१८	श्री. गोपाळ बहादूर सिंह	०४/०६/२०२५	२२९३/२०२५	२८४२१७०	२
१९	श्री. राजेशकुंवर बहादूर सिंह	०४/०६/२०२५	२२९३/२०२५	२८४२१७०	४
२०	मो. आरिफ नूरमोहम्मद शेख	०४/०६/२०२५	२२९४/२०२५	६१८५०	१
२१	अब्दुल कयुम नाजिर खान	०४/०६/२०२५	२२९४/२०२५	६१८५०	२
२२	नासीर नाजिर खान	०४/०६/२०२५	२२९४/२०२५	६१८५०	३
२३	श्री. गोविंदकुमार छगनलाल मिस्त्री	०४/०६/२०२५	२२९५/२०२५	५७५०९	१
२४	श्री. कन्हैयालाल भिकालाल दर्जी	०४/०६/२०२५	२२९५/२०२५	५७५०९	२
२५	विमल दिलीप वाहोरे	०४/०६/२०२५	२२९६/२०२५	१४६९४२	१
२६	श्री. विकी दिलीप वाहोरे	०४/०६/२०२५	२२९६/२०२५	१४६९४२	२
२७	श्री. विकास भिमराव अंभोरे	०४/०६/२०२५	२२९६/२०२५	१४६९४२	३
२८	कांताबाई अनिल दालवाले	०४/०६/२०२५	२२९६/२०२५	१४६९४२	४
२९	श्री. दिनेश शोभनाथ यादव	०४/०६/२०२५	२२९७/२०२५	१६३३३९६	१
३०	श्री. प्रमोद काशीराम परब	०४/०६/२०२५	२२९९/२०२५	३४३९८४	१
३१	सौ. राजश्री प्रमोद परब	०४/०६/२०२५	२२९९/२०२५	३४३९८४	२
३२	श्री. प्रदीप रामचंद्र परब	०४/०६/२०२५	२२९९/२०२५	३४३९८४	३
३३	श्री. प्रशांत आत्माराम शेलार	०४/०६/२०२५	२२९९/२०२५	३४३९८४	४
३४	श्री. किरण यशवंत जुवळे	०४/०६/२०२५	२३००/२०२५	७४८६२	१
३५	सौ. अश्विनी किरण जुवळे	०४/०६/२०२५	२३००/२०२५	७४८६२	२
३६	श्री. विजय यशवंत खामकर	०४/०६/२०२५	२३००/२०२५	७४८६२	३
३७	श्री. प्रकाश वासुदेव कदम	०४/०६/२०२५	२३००/२०२५	७४८६२	४
३८	श्री. यशवंत सखाराम जुवळे	०४/०६/२०२५	२३००/२०२५	७४८६२	५
३९	श्री. जयसिंग बळवंत खबाले	०४/०६/२०२५	२३०२/२०२५	५३१३५५	१
४०	श्री. प्रकाश अंतु बगाडी	०४/०६/२०२५	२३०२/२०२५	५३१३५५	४
४१	श्री. बाळकृष्ण मारुती मोहिते	०४/०६/२०२५	२२८९/२०२५	१०७००३०	१
४२	श्री. नितीन बाळकृष्ण मोहिते	०४/०६/२०२५	२२८९/२०२५	१०७००३०	२
४३	श्री. मंगेश महादेव शिंदे	०४/०६/२०२५	२२८९/२०२५	१०७००३०	३
४४	श्री. महेश बाबासो डांगे	०४/०६/२०२५	२२८९/२०२५	१०७००३०	५
४५	श्री. स्वप्नील गणेश रेवाळे	०४/०६/२०२५	२२९८/२०२५	१६७७९	१
४६	श्री. अनिल सदानंद वडे	०४/०६/२०२५	२२९८/२०२५	१८०२८८५	३
४७	श्री. हनुमान विजय पारकर	०४/०६/२०२५	२२९२/२०२५	१०५०८७	२
४८	श्री. गौरेश शरद कोरगांवकर	०४/०६/२०२५	२२९२/२०२५	१०५०८७	३

सदर दाव्याचे कामी अर्जदार यांनी दाखल केलेल्या अर्जातील प्रतिवादींना रजिस्टर पोस्टाने समन्स पाठविण्यात आलेले आहे. परंतु प्रतिवादी यांना समन्स न झाल्याने / त्यांचा नवीन पत्ता उपलब्ध नसल्याने जाहीर समन्स देत आहोत.

उपनिर्दिष्ठ अर्जासंबंधी आपले म्हणणे मांडण्यासाठी स्वत: जातीने **दिनांक १८/०७/२०२५ रोजी दुपारी ११:०० वाजता** दाव्यासंबंधी कागदपत्रांसह आपण या कार्यालयात हजर राहावे.

या नोटीसीद्वारे उपरोक्त प्रतिवादी यांना असेही कळविण्यात येते की, वरील तारखेस आपण वेळेवर हजर न राहिल्यास आपल्या गैरहजेरीत अर्जाची सुनावणी घेण्यात येईल, याची कृपया नोंद घ्यावी. त्याप्रमाणे वरील तारखेस तत्पूर्वी आपला संपूर्ण पत्ता कळविण्यात कसूर केल्यास आपला बचाव रद्द समजण्यात येईल.

म्हणून आज **दिनांक ०४/०७/२०२५** रोजी माझे सही व कार्यालयाचे मुद्रेसह दिली आहे.

शिक्का

सही/-

(बी. के. येल्हारे)

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, (परसेवा)

महाराष्ट्र राज्य बिगर कृषी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि., मुंबई.

जाहीर सूचना

कर्ज वसुली न्यायाधिकरण कायदा आणि कर्ज वसुली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया), नियम, १९९३ च्या वेळोवेळी सुधारित तरतुदींमधील सिक्युरिटीजेशन कायद्याच्या कलम १७ अंतर्गत सूचना.

कर्ज वसुली न्यायाधिकरण क्र. २

एमटीएनएल भवन, ३ मजला स्ट्रँड रोड, अपोलो बंदर, कुलाबा मार्केट, कुलाबा. मुंबई - ४००००५ .

सिक्युरिटीजेशन अर्ज क्रमांक २४२/२०१९

सूचना

रेणू मिश्रा आणि अन्य .... अर्जदार

विरुद्ध

येस बँक आणि इतर .... प्रतिवादी

सिक्युरिटायझेशन अँड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल ॲसेट्स अँड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट, २००२ मधील कलम १७(१) अंतर्गत एक अर्ज या न्यायाधिकरणासमोर ०३/०७/२०१९ रोजी दाखल करण्यात आला आहे (अर्जाची प्रत संलग्न आहे)."

मदत का मंजूर केली जाऊ नये याचे कारण दाखवा. तुम्हाला तुमच्या बचावासाठी कागदी पुस्तकाच्या स्वरूपात दोन पूर्ण संचामध्ये उत्तर दाखल करावे लागेल आणि तुमच्या समर्थनार्थ सर्व कागदपत्रे आणि प्रतिज्ञापत्र न्यायाधिकरणात वैयक्तिकरित्या किंवा तुमच्या योग्य अधिकृत एजंट किंवा कायदेशीर व्यावसायिकामार्फत सादर करावे लागतील आणि ०३/११/२०२५ रोजी सकाळी ११.०० वाजता या न्यायाधिकरणासमोर हजर राहावे लागेल. असे न झाल्यास तुमच्या अर्जाची थेट प्रत ऐकून तुमच्या अर्जावर थेट सुनावणी घेण्यात येईल. तुम्हाला अर्जदाराच्या वकिलांना एसए ला उत्तराची आगाऊ प्रत देण्याचे निर्देश देण्यात येत आहेत.

माझ्या सहीने आणि न्यायाधिकरणाच्या शिक्क्याने आज २४ जून २०२५ रोजी दिलेले

शिक्का

रजिस्ट्रार

DRT-II, मुंबई

सर्व प्रतिवादींचे नाव आणि पत्ता,

(२) ओटीएस ई-सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड, ऑफिस क्र.२२३, दुसरा मजला, उम्रीगर बिल्डिंग, आय.टी. रोड, क्रॉफर्ड मार्केट समोर, मुंबई - ४००००३

(३) श्री. अरुण कपूर, पत्ता फ्लॅट १२०१, १२ वा मजला, सुप्रीम सिग्नेचर, युनियन पार्क, त्रिलोक कपूर मार्ग, चेंबूर, मुंबई - ४०००७१

(४) श्री. शन्या कपूर, पत्ता फ्लॅट १२०१, १२ वा मजला, सुप्रीम सिग्नेचर, युनियन पार्क. त्रिलोक कपूर मार्ग, चेंबूर, मुंबई - ४०००७१

आयव्हीपी लिमिटेड

सीआयएन: एल७४९९९एमएच१९२९पीएलसी००१५०३

नोंद.कार्यालय: शशिकांत एन. रेडिज मार्ग, घोरुपदेव, मुंबई – ४०० ०३३. **दूरध्वनी:** ०२२ - ३५०७ ५३६०

वेबसाइट: www.ivpindia.com, **ई-मेल:** ivpsecretarial@ivpindia.com

९६वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा

याद्वारे सूचना देण्यात येते की आयव्हीपी लिमिटेड (कंपनी) च्या सदस्यांची **९६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा** (एजीएम) **गुरुवार, ३१ जुलै २०२५ रोजी सकाळी ११:०० वा. मुंबई मराठी पत्रकार संघ, दुसरा मजला, पत्रकार भवन, आझाद मैदान, बालशास्त्री जांभेकर चौक, महापालिका मार्ग, मुंबई, महाराष्ट्र, ४००००१**, भारत येथे वार्षिक सर्वसाधारण सभा बोलावण्याच्या सूचनेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व्यवसायावर विचारविमर्श करण्यासाठी आयोजित केली जाईल.

कंपनीची ९६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा प्रत्यक्ष स्वरूपात आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या सूचनांनुसार होणार आहे.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि वार्षिक अहवाल पाठवणे: सहकार मंत्रालयाने (एमसीए) जारी केलेले परिपत्रक क्र.०९/२०२४, सिक्युरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने जारी केलेले ३ ऑक्टोबर २०२४ चे परिपत्रक आणि एमसीए आणि सेबीने जारी केलेले इतर लागू परिपत्रक (परिपत्रके) यांच्या अनुषंगाने, कंपनीने ९६ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आर्थिक वर्ष २०२५ च्या वार्षिक अहवालासह, ई-व्होटिंग तपशीलांसह, इतर गोष्टींसह, ज्या सदस्यांचे ई-मेल पत्ते कंपनी/डिपॉझिटरीज/निबंधक आणि कंपनीच्या भाग हस्तांतरण प्रतिनिधी (आरटीए) कडे नोंदणीकृत आहेत त्यांना ईमेल केली आहे.

पुढे, सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ (लिस्टिंग रेग्युलेशन्स) च्या नियम ३६(१)(ब) नुसार, ज्या सदस्यांचे ईमेल पत्ते २७ जून २०२५ पर्यंत कंपनी/डिपॉझिटरीज/आरटीएकडे नोंदणीकृत नाहीत त्यांना एक पत्र पाठवले जात आहे, ज्यामध्ये कंपनीच्या वेबसाइटवर आर्थिक वर्ष २०२५ चा वार्षिक अहवाल पाहता येईल अशी वेबलिंक प्रदान केली आहे. कंपनी आर्थिक वर्ष २०२५ च्या वार्षिक अहवालाची प्रत्यक्ष प्रत ivpsecretarial@ivpindia.com वर विशेषतः विनंती करणाऱ्या सदस्यांना त्यांचा फोलिओ क्र./डीपी आणि क्लायंट आयडी नमूद करून पाठवेल.

९६ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि वार्षिक अहवाल कंपनीच्या वेबसाइट https://www.ivpindia.com/announcements वर अपलोड करण्यात आला आहे. ही सूचना स्टॉक एक्सचेंजेस म्हणजेच बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या वेबसाइट www.bseindia.com आणि www.nseindia.com वर आणि सीडीएसएल (रिमोट-व्होटिंग सुविधा प्रदान करणारी एजन्सी) च्या वेबसाइट www.evoingindia.com वर देखील पाहता येईल.

ईमेल पत्ता नोंदणी/अपडेट करण्याची पद्धत:

वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०२५ चा वार्षिक अहवाल मिळविण्यासाठी तुम्ही तुमचा ईमेल पत्ता **गुरुवार २४ जुलै २०२५** रोजी किंवा त्यापूर्वी https://web.in.mpms.mufg.com/EmailReg/Email_Register.html या लिंकवर क्लिक करून आणि त्यातील मार्गदर्शनानुसार नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करून नोंदवू शकता.

डिमटेरियलाइज्ड पद्धतीने शेअर्स धारण करणाऱ्या सदस्यांना विनंती आहे की त्यांनी त्यांचे ई-मेल पत्ते त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरीजकडे त्यांच्या डिपॉझिटरी सहभागींद्वारे नोंदणीकृत करावेत आणि अपडेट करावेत. वास्तविक पद्धतीने शेअर्स धारण करणाऱ्या सदस्यांना विनंती आहे की त्यांनी त्यांचे ईमेल पत्ते कंपनीचे निबंधक आणि भाग हस्तांतरण प्रतिनिधी, एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (पूर्वी लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड म्हणून ज्ञात) यांच्याकडे rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com वर फॉर्म आयएसआर-१ सादर करून द्यावेत.

कट ऑफ तारखेला सदस्य नसलेल्या व्यक्तीने वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना केवळ माहितीच्या उद्देशाने हाताळावी.

ई-व्होटिंगद्वारे मतदान करण्याची पद्धत: कंपनी सर्व सदस्यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या सर्व ठरावांवर मतदान करण्यासाठी रिमोट ई-व्होटिंग सुविधा प्रदान करेल. याव्यतिरिक्त, कंपनी एजीएमच्या वेळी बॅलेट पेपरद्वारे मतदान करण्याची सुविधा प्रदान करेल. ई-व्होटिंगच्या उद्देशाने, कंपनीने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदानाची सुविधा देण्यासाठी सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस लिमिटेड (सीडीएसएल) सोबत करार केला आहे. डीमटेरियलाइज्ड स्वरूपात शेअर्स धारण करणाऱ्या भागधारकांसाठी, वास्तविक पद्धतीने आणि ज्या भागधारकांनी त्यांचे ईमेल पत्ते नोंदणीकृत केले नाहीत त्यांच्यासाठी एजीएममध्ये रिमोटली किंवा पोलद्वारे मतदान करण्याची पद्धत एजीएमच्या सूचनेत प्रदान केली जाईल. रिमोट ई-व्होटिंग सुविधा **सोमवार, २८ जुलै २०२५ रोजी सकाळी ९.०० वा.** सुरू होईल आणि **बुधवार, ३० जुलै २०२५ रोजी संध्याकाळी ५.०० वा.** समाप्त होईल. **२४ जुलै २०२५** रोजी डिपॉझिटरीजद्वारे राखलेल्या सदस्यांच्या नोंदणी/लाभार्थी मालकांच्या नोंदणीमध्ये ज्या व्यक्तीचे नाव नोंदवले गेले आहे त्यांना एजीएमपूर्वी रिमोट ई-व्होटिंगची सुविधा मिळू शकेल.

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये

आयव्हीपी लिमिटेडकरिता

सही/-

जय आर मेहता

कंपनी सचिव

ठिकाण: मुंबई

तारीख: ७ जुलै २०२५

सदस्यता क्र.: एइ०४२८

नेस्को लिमिटेड

सीआयएन : L68100MH1946PLC004886

नोंदणीकृत कार्यालय : नेस्को सेंटर, वेस्टर्न एक्स्प्रेस हायवे, गोरेगाव (पूर्व), मुंबई ४०००६३.

दूर. : (०२२) ६६४५ ०१२३ **संकेतस्थळ :** www.nesco.in **ई-मेल :** companysecretarynesco.in

६६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा व दूरस्थ ई-मतदानाची माहिती

६६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा

१. याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, कॉर्पोरेट कामकाज मंत्रालय व सेबी यांच्याद्वारे वेळोवेळी जारी विविध परिपत्रकांच्या ('परिपत्रके') अनुपालनांतर्गत कंपनीची ६६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम') **बुधवार, दि. ३० जुलै २०२५ रोजी दु. ३.३० वाजता** (भा. प्र. वे.) ६६ वी एजीएम आयोजित करणाऱ्या सूचनेत विहित विषयांवर विचारविनिमय करण्यासाठी सामायिक ठिकाणी सभासदांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीविना व्हिडीओ कॉन्फरन्स ('व्हीसी') वा अदर ऑडिओ व्हिज्युअल मीन्स ('ओएव्हीएम') च्या माध्यमातून आयोजित करण्यात येत आहे.

२. सदर परिपत्रकांच्या अनुपालनांतर्गत ज्या भागधारकांचे ई-मेल आयडीज् कंपनी/डिपॉझिटरीज् यांच्याकडे नोंदवलेले असतील अशा भागधारकांना ६६ वी एजीएम आयोजित करणारी सूचना तसेच वित्तीय वर्ष २०२४-२५ करिताचा वार्षिक अहवाल सोमवार, दि. ०७ जुलै २०२५ रोजी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पाठवण्यात आले आहेत.

३. दूरस्थ ई-मतदान मंचाच्या माध्यमातून आपले मत देण्यासाठी तसेच एजीएमदरम्यान ई-मतदानासहित व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेच्या माध्यमातून ६६ व्या एजीएममध्ये सहभाग घेण्याकरिता कंपनीने नॅशनल सीक्युरिटीज् डिपॉझिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') ची सेवा नेमली आहे.

४. एजीएमची सदर सूचना व वार्षिक अहवाल कंपनीचे शेअर्स सूचिबद्ध असलेल्या स्टॉक एक्सचेंजेसच्या वेबसाइट्स अर्थात बीएसई लिमिटेडची वेबसाइट www.bseindia.com वर व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडची वेबसाइट www.nseindia.com वर व कंपनीची वेबसाइट www.nesco.in वर तसेच ई-मतदान एजन्सी नाव एनएसडीएलची वेबसाइट evoting@nsdl.com वरही उपलब्ध आहे.

५. दूरस्थ ई-मतदान कालावधी शनिवार, दि. २६ जुलै २०२५ रोजी स. ९.०० वाजता सुरू होईल व मंगळवार, दि. २९ जुलै २०२५ रोजी सायं. ५.०० वाजता संपेल. एनएसडीएलद्वारे तत्पश्चात मतदानाकरिता ई-मतदानाचे मोड्युल अकार्यरत करण्यात येईल. ई-मतदान ६६ व्या एजीएममध्येही उपलब्ध असेल व दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे आपले मत न दिलेले सभासद ६६ व्या एजीएममध्ये मत देऊ शकतील.

६. डीमटेरियलाइज्ड् स्वरूपातील भागधारक, कागदोपत्री स्वरूपातील भागधारक असलेले भागधारक तसेच ज्यांनी आपले ई-मेल पत्ते नोंदणीकृत केलेले नसतील अशा भागधारकांकरिता दूरस्थ किंवा एजीएमदरम्यान मतदानाचे निर्देश व स्वरूप ६६ व्या एजीएम आयोजित करणाऱ्या सूचनेत दिलेले आहेत.

७. सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ चे विनियमन ३६ (१) (बी) च्या अनुपालनांतर्गत ज्या भागधारकांनी आपले ई-मेल पत्ते नोंदणीकृत केलेले नाही त्यांच्याकरिता वार्षिक अहवाल २०२४-२५ चा संपूर्ण तपशील उपलब्ध असलेली वेबलिंक, वास्तविक पाथसह असलेले पत्र पाठवण्यात येत आहे.

८. सभासदांचा मतदान हक्क हा याकरिता निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात बुधवार, दि. २३ जुलै २०२५ रोजीनुसार कंपनीच्या प्रदानित भागभांडवलातील त्यांच्याद्वारे धारण केलेल्या समभागांच्या प्रमाणात असेल.

९. निर्धारित अंतिम तारखेनुसार एखाद्या व्यक्तीचे नाव सभासदांचे रजिस्टर किंवा डिपॉझिटरीजद्वारे तयार करण्यात आलेल्या लाभार्थी मालकांच्या रजिस्टरमध्ये नोंद असेल असे सभासद दूरस्थ ई-मतदान तसेच एजीएममध्ये मतदान करण्यास पात्रअसतील. एखादी व्यक्ती एजीएमच्या सूचनेच्या इलेक्ट्रॉनिक पाठवणीपश्चात कंपनीचे भागधारक बनत असेल व निर्धारित अंतिम तारखेनुसार भागधारक असल्यास सदर व्यक्ती लॉग इन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करण्यासाठी एजीएमच्या सूचनेत दिल्यानुसार प्रक्रियेचे पालन करू शकेल.

१०. ई-मतदान प्रक्रिया नि:पक्ष व पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी परीनिरीक्षक म्हणून कंपनीच्या संचालक मंडळाने कु. नीता एच. देसाई, एनडी अँन्ड असोसिएट्स, कार्यरत कंपनी सचिव (सीओपी नं. ४७४१) यांची नेमणूक केली आहे.

११. वित्तीय वर्ष २०२४-२५ करिताच्या अंतिम लाभांशाच्या सभासदांच्या पात्रतेच्या निश्चितीकरिता व एजीएम करिता नोंद दिनांक म्हणून कंपनीने बुधवार, दि. २३ जुलै २०२५ हा दिवस निश्चित केला आहे.

१२. पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ व्यवस्थापक, एनएसडीएल यांना निर्दिष्ट ई-मेल आयडी evoting@nsdl.com येथे संपर्क साधावा. इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे ई-मतदानाशी संबंधित काही शंका/प्रश्न असल्यास कृपया www.evoting.nsdl.com च्या download section वर उपलब्ध सभासदांकरिताचे Frequently Asked Questions (FAQs) व सभासदांकरिताचे e-voting user manual वाचावे किंवा टोल फ्री क्र. ०२२ ४८८६ ७००० वर संपर्क साधावा किंवा evoting@nsdl.com येथे विनंती पाठवावी.

नेस्को लिमिटेड यांच्या करिता

सही/-

शालिनी कामथ

कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई

दिनांक : ०८ जुलै २०२५

सभासदत्व क्र. : ए१४९३३

युनियन बँक ऑफ इंडिया

(मीरा रोड पूर्व शाखा)

अस्मिता ॲसकॉन ॲक्रेस, तळमजला, नया नगर, मीरा रोड पूर्व- ४०११०७, संपर्क क्र.: +९१ ९२१५७८६९०९

ई-मेल:ubin0904741@unionbankofindia.bank

ताबा सूचना

(रुल्स ८(१)) (स्थावर मालमत्तेकरिता)

ज्याअर्थी;

खालील स्वाक्षरीकर्ता हे सिक्युरीटायझेशन अॅन्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फिनान्शियल ॲसेटस् अॅन्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट (सेकण्ड) ॲक्ट २००२ (कायदा क्र.५४/२००२) अंतर्गत **युनियन बँक ऑफ इंडिया, मीरा रोड पुर्व शाखे**चे प्राधिकृत अधिकारी आहेत आणि सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेन्ट) रूल्स, २००२ च्या नियम ३ सहवाचिता कलम १३(१२) अन्वये असलेल्या अधिकाराअंतर्गत त्यांनी दिनांक **११.०१.२०२४** रोजी वितरीत केलेल्या मागणी सूचनेनुसार कर्जदार **श्री. जावेद रशिद शेख, श्री. साजिद रशिद शेख** व **श्री. मोहम्मद कासिम कादिर अहमद सलमानी** यांना सदर सूचना प्राप्त तारखेपासून **६० दिवसांच्या** आत देय रक्कम **रु.८,८७,३००.६६ (रुपये आठ लाख सत्याऐंशी हजार तिनशे आणि पैसे सहासष्ठ फक्त)** तसेच पुढील व्याज जमा करण्यास सांगण्यात आले होते.

कर्जदार यांनी वर नमूद केलेली रक्कम भरण्यास असमर्थ ठरले असून कर्जदार व सर्वसामान्य जनतेस येथे सूचित करण्यात येत आहे की, खालील स्वाक्षरीकर्त्यांनी खाली नमूद केलेल्या मालमत्तेचा **ताबा** कायद्याच्या कलम १३(४) सहवाचिता सदर अधिनियमाचे नियम ८ अन्वये **०४ जुलै, २०२५** रोजी घेतलेला आहे.

विशेषतः कर्जदार व सर्वसामान्य जनतेस येथे सावध करण्यात येते की, सदर मालमत्तेसह कोणताही व्यवहार करू नये आणि सदर मालमत्तेसह व्यवहार केलेला असल्यास त्यांनी **युनियन बँक ऑफ इंडिया** यांच्याकडे देय थकबाकी रक्कम **रु.८,८७,३००.६६ (रुपये आठ लाख सत्याऐंशी हजार तिनशे आणि पैसे सहासष्ठ फक्त)** त्यावरील व्याज जमा करावे.

कर्जदार तसेच जामिनदारांचे लक्ष वेधण्यात येत आहे की, कायद्याच्या कलम १३ चे उपकलम (८) च्या तरतूदीनुसार प्रतिभूत मालमत्ता सोडविण्यासाठी वेळ उपलब्ध आहे.

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन

फ्लॅट क्र. ३०२, ३रा मजला, सोलंकी आर्केड, एआय-ॲक्सा कोहौसोलि., शाम्स मश्जिद लेन, नया नगर, मीरा रोड (पूर्व), जि. ठाणे ४०११०७ येथील जागेचे सर्व भाग व खंड.

सही/-

प्राधिकृत अधिकारी

युनियन बँक ऑफ इंडिया

दिनांक: ०४.०७.२०२५

ठिकाण: मीरा रोड

युनियन बँक ऑफ इंडिया

(मीरा रोड पूर्व शाखा)

अस्मिता ॲसकॉन ॲक्रेस, तळमजला, नया नगर, मीरा रोड पूर्व- ४०११०७, संपर्क क्र.: +९१ ९२१५७८६९०९

ई-मेल:ubin0904741@unionbankofindia.bank

ताबा सूचना

(रुल्स ८(१)) (स्थावर मालमत्तेकरिता)

ज्याअर्थी;

खालील स्वाक्षरीकर्ता हे सिक्युरीटायझेशन अॅन्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फिनान्शियल ॲसेटस् अॅन्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट (सेकण्ड) ॲक्ट २००२ (कायदा क्र.५४/२००२) अंतर्गत **युनियन बँक ऑफ इंडिया, मीरा रोड पुर्व शाखे**चे प्राधिकृत अधिकारी आहेत आणि सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेन्ट) रूल्स, २००२ च्या नियम ३ सहवाचिता कलम १३(१२) अन्वये असलेल्या अधिकाराअंतर्गत त्यांनी दिनांक **१६.०१.२०२५** रोजी वितरीत केलेल्या मागणी सूचनेनुसार कर्जदार **मे. शालिमार बिल्डिंग कॉन्ट्रॅक्टर्स प्रोपरायटर, श्री. गुलाम मुस्तफा खान** व **श्री. गुलाम मुस्तफा खान** यांना सदर सूचना प्राप्त तारखेपासून **६० दिवसांच्या** आत देय रक्कम **रु.१८,६२,२४१.०६ (रुपये अठरा लाख बासष्ठ हजार दोनशे एकेचाळीस आणि पैसे सहा फक्त)** तसेच पुढील व्याज जमा करण्यास सांगण्यात आले होते.

कर्जदार यांनी वर नमूद केलेली रक्कम भरण्यास असमर्थ ठरले असून कर्जदार व सर्वसामान्य जनतेस येथे सूचित करण्यात येत आहे की, खालील स्वाक्षरीकर्त्यांनी खाली नमूद केलेल्या मालमत्तेचा **ताबा** कायद्याच्या कलम १३(४) सहवाचिता सदर अधिनियमाचे नियम ८ अन्वये **०४ जुलै, २०२५** रोजी घेतलेला आहे.

विशेषतः कर्जदार व सर्वसामान्य जनतेस येथे सावध करण्यात येते की, सदर मालमत्तेसह कोणताही व्यवहार करू नये आणि सदर मालमत्तेसह व्यवहार केलेला असल्यास त्यांनी **युनियन बँक ऑफ इंडिया** यांच्याकडे देय थकबाकी रक्कम **रु.१८,६२,२४१.०६ (रुपये अठरा लाख बासष्ठ हजार दोनशे एकेचाळीस आणि पैसे सहा फक्त)** त्यावरील व्याज जमा करावे.

कर्जदार तसेच जामिनदारांचे लक्ष वेधण्यात येत आहे की, कायद्याच्या कलम १३ चे उपकलम (८) च्या तरतूदीनुसार प्रतिभूत मालमत्ता सोडविण्यासाठी वेळ उपलब्ध आहे.

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन

दुकान क्र. सी-५४, तळमजला, सी विंग, कृणाल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, क्षेत्रफळ २२.३० चौ.मी. नया नगर, १०० फूट रोड, सर्व्हे क्र. ७७, हिस्सा क्र. ४, गाव मीरा रोड, मीरा रोड (पूर्व), जि. ठाणे ४०११०७ येथील जागेचे सर्व भाग व खंड.

सही/-

प्राधिकृत अधिकारी

युनियन बँक ऑफ इंडिया

दिनांक: ०४.०७.२०२५

ठिकाण: मीरा रोड

दी इंडियन ह्युम पाईप कंपनी लिमिटेड

सीआयएन:एल५१५००एमएच१९२६पीएलसी००१२५५

नोंदणीकृत कार्यालय: कन्स्ट्रक्शन हाऊस, ५, वालचंद हिराचंद रोड, बॅलार्ड इस्टेट, मुंबई-४००००१. **दूर.:**+९१-२२-२२६१८०९१, +९१-२२-४०७४८१८१, **फॅक्स:**+९१-२२-२२६५६८६३, **ई-मेल:**info@indianhumepipe.com, **वेबसाईट:**www.indianhumepipe.com

९९वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा व ई-वोटिंग माहिती आणि पुस्तक बंद करण्याच्या तारखांची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, **दी इंडियन ह्युम पाईप कंपनी लिमिटेड** (कंपनी) च्या सदस्यांची ९९वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) **शुक्रवार, १ ऑगस्ट, २०२५ रोजी दु.२.३०वा. (भाप्रवे)** एजीएम सूचनेत नमुद विषयावर विमर्ष करण्याकरिता **व्हिडीओ कॉन्फरन्स (व्हीसी)/अन्य दृकश्राव्य माध्यमातून (ओएव्हीएम)** सहकार मंत्रालयाद्वारे (एमसीए) वितरीत सर्वसाधारण परिपत्रक क्र.०९/२०२४, दिनांक १९.०९.२०२४ (एमसीए परिपत्रके) आणि भारतीय प्रतिभूती व विनिमय मंडळद्वारे वितरीत परिपत्रक क्र.सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-२/पी/सीआयआर/२०२४/१३३ दि. ०३.१०.२०२५(सेबी परिपत्रके) नुसार होणार आहे. उपरोक्त परिपत्रकांच्या पुर्ततेनुसार कंपनीने वित्तीय वर्ष २०२३-२४ करिता संपुर्ण वार्षिक अहवालासह एकत्रित ९९व्या एजीएमची सूचना ज्या सदस्यांचे ई-मेल कंपनी/ठेवीदाराकडे नोंद आहेत त्यांना **९ जुलै, २०२५** रोजी ई-मेलने पाठविले आहे. **एमसीए व सेबी परिपत्रकानुसार वित्तीय वर्ष २०२४-२५ करिता वार्षिक अहवालाची वास्तविक प्रतकरिता विनंती केलेल्या भागधारकांव्यतिरिक्त अन्य भागधारकांना एजीएम सूचनेची व वार्षिक अहवाल २०२४-२५ करिता वास्तविक प्रत पाठविली जाणार नाही.**

सदस्यांनी नोंद घ्यावी की, वित्तीय वर्ष २०२४-२५ करिता वार्षिक अहवालासह ९९व्या एजीएमची सूचना कंपनीच्या www.indianhumepipe.com, स्टॉक एक्सचेंजेसच्या अर्थात बीएसई लिमिटेड व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या अनुक्रमे www.bseindia.com व www.nseindia.com आणि एनएसडीएलच्या https://www.evoting.nsdl.com वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ चे नियम २०, वेळोवेळी सुधारितप्रमाणे आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेन्टस्) रेग्युलेशन्स २०१५ चे नियम ४४ नुसार एनएसडीएलद्वारे देण्यात येणाऱ्या विद्युत मतदान प्रणालीने (ई-वोटिंग) ९९व्या एजीएमच्या सूचनेत नमुद ठरावांवर त्यांचे मत देण्याची सुविधा दिलेली आहे. नोंद दिनांक **शुक्रवार, २५ जुलै, २०२५** रोजी कंपनीचे भरणा केलेले समभाग भांडवलातील त्यांच्याद्वारे धारण समभागांच्या सरासरीवर सदस्यांचे मतदान अधिकार असतील.

ई-वोटिंग प्रक्रिया (एजीएमपुर्वी रिमोट ई-वोटिंग व एजीएम दरम्यान ई-वोटिंग) योग्य व पारदर्शकरित्या संचालनाकरिता तपासनीस म्हणून **जेएचआर ॲण्ड असोसिएटस्**, कंपनी सचिवचे भागीदार कार्यरत कंपनी सचिव **श्री. जे.एच. रानडे**, सदस्यत्व क्र.एफ४३१७ व सीपी क्र.२५२० आणि त्यांच्या गैरहजेरीत **श्री. सोहन जे. रानडे**, सदस्यत्व क्र.ए३३४१६ व सीपी क्र.१२५२० आणि त्यांच्या गैरहजेरीत **कुमारी तेजस्वी पी. जोगल**, सदस्यत्व क्र.ए२९६०८ व सीपी क्र.१४८३९ (त्यापैकी कोणतेही एक) यांची नियुक्ती केली आहे.

रिमोट ई-वोटिंग कालावधी **सोमवार, २८ जुलै, २०२५ रोजी स.९.००वा. (भाप्रवे)** प्रारंभ होईल आणि **गुरुवार, ३१ जुलै, २०२५ रोजी सायं.५.००वा. (भाप्रवे)** समाप्त होईल. सदर कालावधी दरम्यान सदस्यांना विद्युत स्वरुपात मत देता येईल. तद्नंतर एनएसडीएलद्वारे रिमोट ई-वोटिंग बंद केले जाईल. व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेने एजीएममध्ये उपस्थित सदस्य ज्यांनी रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत दिलेले नाही किंवा त्यांना असे करण्यास रोखलेले नाही त्यांना रिमोट ई-वोटिंग प्रणालीने एजीएम दरम्यान मत देण्याचा अधिकार असेल.

एजीएमपुर्वी रिमोट ई-वोटिंगने जे सदस्य त्यांचे मत देतील त्यांना व्हीसी/ओएव्हीएममार्फत एजीएममध्ये सहभागी होता येईल परंतु पुन्हा मत देण्याचा अधिकार असणार नाही.

जर कोणा व्यक्तीने कंपनीद्वारे विद्युत स्वरुपात सूचना वितरण केल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स प्राप्त करून कंपनीचा सदस्य झाला असेल आणि नोंद तारखेला **शुक्रवार, २५ जुलै, २०२५ रोजी** भागधारणा घेतली असेल त्यांनी evoting@nsdl.co.in वर विनंती पाठवून लॉगइन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा. तथापि रिमोट ई-वोटिंगकरिता यापुर्वीच एनएसडीएलसह नोंद असल्यास त्यांनी त्यांचे मत देण्यासाठी विद्यमान युजरआयडी व पासवर्ड वापरावा.

वास्तविक स्वरुपात भागधारणा असल्यास किंवा तुमचे ई-मेल कंपनी/ठेवीदाराकडे नोंद नसल्यास त्यांनी रिमोट ई-वोटिंगमार्फत त्यांचे मत द्यावे किंवा सभे दरम्यान ई-वोटिंग प्रणालीने मत द्यावे. लॉगइन तपशील ई-वोटिंगकरिता प्राप्त करण्यासाठी खालील सूचनांचे पालन करावी.

वास्तविक भागधारणा	कंपनीचे निबंधक व भागहस्तांतरण प्रतिनिधी मे. एमयुएफजी इनटाईम इंडिया प्रा.लि. यांना फोलिओ क्रमांक, भागधारकाचे नाव, भागप्रमाणपत्राची स्कॅन प्रत (दर्शनी व मागील), पॅन (पॅनकार्डची स्वसाक्षांकीत स्कॅन प्रत), आधारकार्ड (आधारकार्डची स्वसाक्षांकीत स्कॅन प्रत) तुमचे ई-मेल नोंद करण्यासाठी पाठवावे.
डिमॅट भागधारणा	तुमचे डीपीद्वारे सल्लानुसार तुमच्या डिमॅट खात्यात तुमचे ई-मेल नोंद करावे आणि कृपया तुमच्या डिपॉझिटरी सहभागीदारास (डीपी) संपर्क करावा.

रिमोट ई-वोटिंगबाबत तपशिलाकरिता कृपया एजीएम सूचनेचा संदर्भ घ्यावा. रिमोट ई-वोटिंगबाबत काही प्रश्न असल्यास कृपया www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड सेक्शनवर उपलब्ध भागधारकांकरिताचे ई-वोटिंग युजर मॅन्युअल व फ्रिक्वन्टली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यु) चा संदर्भ घ्यावा किंवा संपर्क क्र.०२२-४८८६७००० किंवा evoting@nsdl.co.in वर ई-मेल करावा.

विद्युत स्वरुपात मतदान सुविधेबाबत काही तक्रार असल्यास कृपया संपर्क **कुमारी पल्लवी म्हात्रे,** व्यवस्थापिका, एनएसडीएल, ४था मजला, ए विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परळ, मुंबई-४०००१३, ई-मेल:evoting@nsdl.co.in/pallavid@nsdl.co.in, दूर.:९१-२२-४८६७००० व ०२२-२४९९७०००.

सेबी (लिस्टींग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेन्टस्) रेग्युलेशन्स २०१५ चे नियम ४२ आणि कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ आणि त्यातील नियमाअंतर्गत तरतुदीनुसार येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीच्या ९९व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेनिमित्त शनिवार, १९ जुलै, २०२५ ते शुक्रवार, १ ऑगस्ट, २०२५ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भागहस्तांतर पुस्तक बंद ठेवले जाईल.

शेअर्सबाबत प्रश्न/पत्र व्यवहाराकरिता भागधारकांनी कंपनीचे निबंधक व भागहस्तांतर प्रतिनिधी मे. एमयुएफजी इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, सी-१०१, २४७ पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोळी(प.), मुंबई-४०००८३, दूर.:०२२-४९१८६२७०, ई मेल:rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com येथे संपर्क करावा.

मंडळाच्या आदेशान्वये

दी इंडियन ह्युम पाईप कंपनी लिमिटेड

सही/-

नीरज आर. ओझा

उपाध्यक्ष-कंपनी सचिव व विधी

दिनांक : ७ जुलै, २०२५

ठिकाण : मुंबई

सनराइज एकेडमी पटेलनगर में धूमधाम से मना संस्था का 9वां स्थापना दिवस, कटी केक, बंटी मिठाई

विद्यार्थियों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने मोहा मन, गरीब बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा देने की हुई घोषणा

संवाददाता

भुरकुंडा (रामगढ़) : पटेलनगर भुरकुंडा स्थित सनराइज एकेडमी में सोमवार को पूरे धूमधाम से समारोह पूर्वक कोचिंग का 9वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संस्था के निदेशक राहुल श्रीवास्तव, कंप्यूटर शिक्षिका नेहा नायक, नूरजहां खातून, अंजली लोहरी, पल्लवी सिन्हा, शिक्षक रजनीश प्रसाद और कमलेश मेहता ने संयुक्त रूप से केक काटकर किया। इसके बाद छात्र-छात्राओं के बीच केक और मिठाई का वितरण किया गया। समारोह में छात्र-छात्राओं ने आकर्षक गीत और नृत्य प्रस्तुत कर सबों का मन मोह लिया। विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की खूब सराहना हुई। मौके पर शिक्षिका नेहा नायक, नूरजहां खातून, अंजली लोहरी व पल्लवी सिन्हा ने कहा कि पढ़ाई के साथ-साथ ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों में नये ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने कहा की वर्तमान के इस डिजिटल युग में बच्चों को कंप्यूटर की बेहतर शिक्षा देना ही संस्था का उद्देश्य है। वहीं निदेशक राहुल श्रीवास्तव ने कोचिंग के 9 वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारे यहां आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को कम शुल्क पर कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है, जो आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान के डिजिटल और एआई युग में बच्चों के लिए कंप्यूटर शिक्षा जरूरी है। रजनीश प्रसाद और कमलेश मेहता ने 9वें स्थापना दिवस पर घोषणा करते हुए कहा कि अति निर्धन बच्चों को सनराइज एकेडमी में डीसीए, डीटीपी, टैली ईआरपी, इंटरनेट, हिंदी-इंग्लिश टाइपिंग आदि कंप्यूटर की निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। समारोह में पुरुषोत्तम गोस्वामी, देवाशीष चैतन, अजीत पासवान, संतन शर्मा, करण, सौरभ पांडेय, कोमल, बुलबुल, नेहा, श्रुति, अनुष्का सिंह, रोशनी, समीना खातून, संध्या रानी, लक्ष्मी, संध्या, तनीषा मुंडा, पूजा, अलीशा मुंडा, रितिका, पूजा, गौरी, अफसाना नाज, रोली परवीन, खुशी, प्रिया लिंडा, विनीता, विधि, दीपा, डॉली, साक्षी, नूर, कुसुम, पम्मी, आशा, आलोक, राजू, काजल, प्रियंका रजवार सहित दर्जनों छात्र-छात्राएं मौजूद थे।

मजदूरों की हितों के विरुद्ध लाई जा रही चार लेबर कोड कानून संविधान की अवहेलना : सुजीत पटेल

पतरातू : कल दिनांक 9 जुलाई को केंद्र सरकार द्वारा मजदूर के हितों के विरुद्ध लाई जा रही चार लेबर कोड कानून के विरुद्ध ट्रेड यूनियनों द्वारा बुलाई जा रही देशव्यापी हड़ताल का हम पतरातू प्रखंड कांग्रेस कमेटी समर्थन करते हैं। उक्त बातें प्रखंड अध्यक्ष सुजीत कुमार पटेल ने कहा कि यह कानून मजदूरों के लिए लाया जा रहा काला कानून है जहां अब मजदूर अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन भी नहीं कर सकते हैं। जो सीधे-सीधे संविधान की अवहेलना है। मजदूरों को अब 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करना होगा। कोयला उद्योग का अब फिर से निजीकरण किया जा रहा है। कोयला का खनन एवं बिक्री आउटसोर्स किया जा रहा है। जो पूरे देश में कोल इंडिया एवं इसके मजदूरों के लिए घातक होगा व यूं कहें कि फिर से आउटसोर्स निजीकरण कर अंग्रेजों की गुलामी की प्रथा चालू हो जा रहा है। जहां कुछ पूंजीपतियों के हाथ पूरा कोल इंडिया को बेच दिया जाएगा। सरकारी नौकरियां खत्म होंगी प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि सन 1973 में तत्कालीन इंदिरा गांधी की नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार ने कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कर रोजगार का सृजन किया था। जिसे आज पुनः धीरे धीरे सभी पब्लिक सेक्टर को भाजपा की केंद्र सरकार नए-नए कानून लाकर पूंजीपतियों को बेच रही है। जो बर्दाश्त योग्य नहीं है और इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। किसी भी कीमत में इस कानून को लागू नहीं होने दिया जाएगा और इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन में कल कांग्रेस कार्यकर्ता भी मैदान में उतरेंगे।

एक झलक

लायंस क्लब भुरकुंडा ने एला एंग्लाइज स्कूल में बच्चों के बीच किया पौधा वितरण

संरक्षण का दिया संदेश

भुरकुंडा (रामगढ़) : लायंस क्लब ऑफ भुरकुंडा द्वारा 1-7 जुलाई तक आयोजित पर्यावरण सप्ताह का समापन सोमवार को ए ला एंग्लाइज सीनियर सेकेंडरी विद्यालय सुभाष चौक भुरकुंडा में पौधा वितरण कार्यक्रम के साथ किया गया। इस अवसर पर स्कूल के छात्र-छात्राओं के बीच पर्यावरण जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के पौधे वितरित किए गए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि लायंस डिस्ट्रिक्ट 320 ए के पर्यावरण जिला चेयरपर्सन लायन पूनम आनंद ने पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने तथा नियमित रूप से पौधों की देखभाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पर्यावरण सुरक्षित होगा तभी मानव जीवन भी सुरक्षित रह सकेगा। पर्यावरण की सुरक्षा हमसबकी का दायित्व है। मौके पर बच्चों में पर्यावरण सुरक्षा को लेकर उत्साह देखने को मिला। मौके पर जिला जीएलटी कोऑर्डिनेटर एमजेएफ लायन सुनीत कुमार, रांची क्लब एकलव्य ट्रेटर के सुनील वर्मा, लायंस क्लब भुरकुंडा के अध्यक्ष लायन अशोक सिन्हा, सचिव लायन अखिलेश शर्मा, जिला चेयरपर्सन एमजेएफ डॉ. राजेंद्र महतो, लायन अंजू देवी, विद्यालय के प्राचार्य लायन बिजय कुमार, डॉ. एसके मंजुल, गुणलाल, कुमार अरविंद सिंह सहित कई अन्य सदस्य और विद्यालय परिवार मौजूद थे।

संयुक्त श्रम संगठन ने सौंदा बी साईडिंग में पीट मीटिंग का किया आयोजन

9 की आम हड़ताल को ऐतिहासिक बनाने का निर्णय

भुरकुंडा (रामगढ़) : संयुक्त श्रम संगठन बरका-सयाल की ओर से आगामी 9 जुलाई को प्रस्तावित आम हड़ताल को सफल बनाने के उद्देश्य से सोमवार को सौंदा बी साईडिंग परिसर में पीट मीटिंग का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता देवेंद्र सिंह और संचालन सुभाष यादव ने किया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता बरका-सयाल के संयोजक विश्वनाथ बैठिया ने कहा कि यह हड़ताल मजदूरों के अधिकारों की रक्षा, कोयला खदानों को बचाने और ट्रेड यूनियनों की मजबूती के लिए जरूरी है। उन्होंने श्रमिक कार्यकर्ताओं और श्रमिकों से अपील की कि वे 9 जुलाई की हड़ताल को ऐतिहासिक बनाएं। इस अवसर पर हड़ताल को लेकर रणनीति तय की गई और श्रमिकों को एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाने का आह्वान किया गया। सभा को जेबीएन सिन्हा, वासुदेव साव, डॉ. जीआर भगत, अर्जुन सिंह, संजय वर्मा, संजय शर्मा, उदय मेहता, मोहन मांझी, सदानंद सिंह, सत्येंद सिंह, संजय यादव, महावीर प्रसाद, मार्शल हांसदा, इंददेव पासवान, आजाद भुंइया, रमाकांत दुबे, शंकर कुमार, महेंद सिंह आदि ने संबोधित किया।

तपंगा मुहर्रम मेला में शामिल हुए पूर्व कृषि मंत्री योगेन्द्र साव, प्रतियोगिता के विजेताओं को किया सम्मानित

भुरकुंडा (रामगढ़) : मुहर्रम के अवसर पर सोमवार को तपंगा में आयोजित मेले में पूर्व कृषि मंत्री योगेन्द्र साव बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान अखाड़े में लाठी का करतब दिखाकर मुख्य अतिथि पूर्व कृषि मंत्री योगेन्द्र साव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मौके पर श्री साव ने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजनों से समाज में एकता और भाईचारा मजबूत होता है। मौके पर उपस्थित लोगों ने मुहर्रम के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हुए आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश दिया। मेले में बड़ी संख्या में ग्रामीणों और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। मेला में अखाड़ा प्रदर्शन और ताजियों की शोभायात्रा आकर्षण का केंद्र रहा। इस दौरान प्रतियोगिता में शामिल विभिन्न अखाड़ों से आये खिलाड़ियों ने लाठी-डंडा और तलवार आदि शस्त्र से हैरत अंगेज करतब दिखाकर सबों को अचंभित कर दिया। प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी और मेडल देकर मुख्य अतिथि पूर्व कृषि मंत्री योगेन्द्र साव ने पुरस्कृत किया। इसके पूर्व मुस्लिम पदाधिकारियों व स्थानीय लोगों ने पूर्व मंत्री सहित सभी आगंतुकों का गर्मजोशी से स्वागत किया। मेले में प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। मौके पर योगेंद्र साव के साथ राज किशोर पांडेय, गंगाधर कुशवाहा, बालदेव राम, देवानंद प्रसाद, चारिक अंसारी, रंजीता करमाली और इमरान अंसारी, नईम आलम सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।

मदर टेरेसा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बानो में न्यूट्रिशन प्रदर्शनी का आयोजन

उचित पोषण समुचित आहार स्वास्थ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण: डॉ मनोरंजन

सिमडेगा : जिले के प्रतिष्ठित मदर टेरेसा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बानो में एएनएम तथा जीएनएम प्रथम वर्ष की छात्राओं ने न्यूट्रिशन प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी में एक स्वस्थ शरीर के लिए सोफ्ट डायट, हायपरटेंशन डाईट, डायबिटीक डाईट, हाई प्रोटीन डाईट, एनीमिक डाईट के भोजन का प्रदर्शन किया गया, जिससे शरीर की उचित देखभाल के साथ उचित पोषण से सम्बन्धित जानकारियों को भी साझा किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि चिकित्सा पदाधिकारी डॉ.मनोरंजन कुमार , संस्थान के निदेशक डॉ प्रह्लाद मिश्रा, मनीष कुमार ने प्रदर्शनी में लगाए गए एक से बढ़ कर एक विभिन्न स्टॉल का निरीक्षण किया, जिसके उपरान्त उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 3 समूहों का चयन किया। इस मौके पर निदेशक डॉ मनोरंजन कुमार ने कहा कि आज के समय में खानपान में सुधार कर बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है।

ओपी जिंदल विद्यालय पतरातू में वन महोत्सव सप्ताह बना हरियाली का उत्सव, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

भुरकुंडा (रामगढ़) : ओपी जिंदल विद्यालय पतरातू में 1 से 7 जुलाई तक आयोजित वन महोत्सव सप्ताह केवल एक शैक्षणिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का जीवंत आंदोलन बन गया। इस दौरान छात्रों ने गीत, कविता, पोस्टर, भाषण और नाटक के माध्यम से धरती की पुकार को स्वर और रंग दिया। प्रातः वंदना सभा से लेकर सृजनात्मक प्रस्तुतियों तक, हर दिन बच्चों ने जलवायु संकट, वनों के महत्व और सतत विकास जैसे विषयों पर समाज को गहराई से सोचने पर मजबूर किया। [illegible] नहीं होंगी, तो भविष्य की सांसें सूख जाएंगी। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ जैसे संदेशों ने लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने का काम किया। सोमवार को सप्ताह के समापन पर विद्यालय परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। छात्रों ने पौधों को रोपते हुए इसके संरक्षण का भी संकल्प लिया। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य मृदुल पाण्डेय ने कहा कि जब हम एक पौधा लगाते हैं, तो हम आने वाले कल के लिए उम्मीद बोते हैं, जिनके लिए स्वच्छ सांसें और हरियाली से भरे जीवन को। इस आयोजन में जेएसपी प्रबंधन का सहयोग अत्यंत सराहनीय रहा, जिन्होंने न सिर्फ सभी संसाधन उपलब्ध कराए, बल्कि पर्यावरणीय चेतना को विद्यार्थी जीवन का हिस्सा भी बनाया। ओपी जिंदल विद्यालय ने सिद्ध कर दिया कि वह सिर्फ पुस्तकीय शिक्षा नहीं, बल्कि सामाजिक संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी की दिशा में भी एक प्रेरणादायी संस्थान है। वन महोत्सव सप्ताह ने न केवल छात्रों की सृजनशीलता, नेतृत्व और जिम्मेदारी के पाठ पढ़ाया, बल्कि पूरे पतरातू क्षेत्र में एक सकारात्मक संदेश फैलाया।

डीसी की अध्यक्षता में निर्वाचन से संबंधित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

सिमडेगा: जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- उपायुक्त, सिमडेगा कंचन सिंह की अध्यक्षता में निर्वाचन से संबंधित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में बूथ लेवल एजेंटों की नियुक्ति को लेकर चर्चा की गई। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- उपायुक्त ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाये रखने के लिये राजनीतिक दलों को बूथ स्तर पर एजेंट नियुक्त करने की सुविधा दी गयी है। ये एजेंट संबंधित बूथ स्तर अधिकारियों के साथ समन्वय में कार्य करेंगे और मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन आदि में सहयोग करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिये बीएलए की नियुक्ति करेंगे। इसके लिये आयोग द्वारा निर्धारित फार्म बीएलए-1 और बीएलए-2 का उपयोग किया जायेगा, जिन पर अधिकृत व्यक्ति के मूल हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।

उप जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री पवन कुमार महतो ने बताया कि जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 574 मतदान स्थल है, जिनके लिए बीएलए की नियुक्ति आवश्यक है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने का अनुरोध किया।बैठक में अपर समाहर्ता ज्ञानेन्द्र, प्रभारी अनुमंडल पदाधिकारी प्रभात रंजन ज्ञानी धुरेन्?द पाण?डेय- आजसू पार्टी, रणधीर रंजन- भारतीय रा?ट्रीय कांग्रेस, दिनेश प्रसाद- रा?ट्रीय जनता दल, मनोज कुमार चौबे- भारतीय जनता पार्टी, दीपक पुरी- भारतीय जनता पार्टी, शफीक खान, झारखण?ड मुक्ति मोर्चा व अन्य उपस्थित थे।

डीसी ने किया ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण किया

सिमडेगा: उपायुक्त सिमडेगा कंचन सिंह ने ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) वेयरहाउस का निरीक्षण किया और वहां की सुरक्षा व्यवस्था का गहनता से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वेयरहाउस में रखी ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की स्थिति, रख-रखाव और रिकॉर्ड संधारण की विधियों की समीक्षा की। उन्होंने सुरक्षा में तैनात कर्मियों से बातचीत कर उनकी ड्यूटी व्यवस्था, प्रवेश-निकास प्रक्रिया, सीसीटीवी निगरानी, अग्निशमन उपकरणों तथा अन्य सुरक्षा उपायों की जानकारी प्राप्त की।उपायुक्त ने निर्देश दिया कि वेयरहाउस की सुरक्षा में कोई भी लापरवाही न बरती जाए तथा सभी सुरक्षा मानकों का पूरी गंभीरता से पालन किया जाए।